पंचम माला, खंड 44, अंक 33, मंगलवार, 3 सितम्बर, 1974/12 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIV, No. 33, Tuesday, September 3, 1974/Bhadra 12, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं / Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 33, मंगलवार, 3 सितम्बर, 1974/12 भाद्र, 1896 (शक)

No 33, Tuesday, September 3, 1974/Bhadra, 12, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment .	1
विहार में व्यक्तियों के भूख से मरने की कथित घटनायें	Alleged Starvation Deaths in Bihar .	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	4
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege . . .	6
संसद सदस्यों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों वाला 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित समाचार	News Report Published in the Prati Paksh Containing disparaging Remarks about Members of Parliament	6
रेल कर्मचारियों के मामले में कलकत्ता उच्च-न्यायालय के निर्णय के बारे में	Re. Calcutta High Court Judgement in Railway Employees case . .	14
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	25
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from sittings of the House . .	26
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	26
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ	Motion for Adjournment as Contd. (Negatived)	27
बिहार में भूख से मौतें होने की कथित घटनाएं	Alleged starvation death in Bihar	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	27
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi .	27
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Haldar	28
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Sankar Dayal Singh .	29
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	30
श्री हरीकिशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh .	31
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . .	32
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	33
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	33
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman .	33

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री तरुण गोगोई	Shri Taran Gogoi .	35
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	35
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav . .	36
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . .	37
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	37
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma .	38
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar . .	39
श्री शिव शंकर प्रसाद यादव	Shri Shiv Shankar Prasad Yadav .	39
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha .	39
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan .	40
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry .	40
श्री दामोदर पान्डे	Shri Damodar Pandey . .	40
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . .	41
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	41
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	42
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	42
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	42
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal . .	43
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	43
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	46
तेल उद्योग (विकास) विधेयक	Oil Industry (Development) Bill .	47
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	47

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 3 सितम्बर, 1974/12 भाद्र, 1896 (शक)
Tuesday, September 3, 1974/Bhadra 12, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

बिहार में व्यक्तियों के भूख से मरने की कथित घटनाएं

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ···

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, जी, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ···· (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I have given notice of an Adjournment motion regarding the situation in Bihar. Bihar is facing a serious situation of drought and floods. The Central Government had assured to supply 35,000 tonnes of foodgrains per month, whereas only 10,000 tonnes of foodgrains is being supplied actually. As a result, millions of people in Bihar are on the verge of starvation. Even the persons of ruling party like Shri Roshan Lal Bhatia of Bihar Pradesh Youth Congress have said that about fifteen persons have died of starvation and he has appealed to the Government for taking urgent relief measures.

Mr. Speaker : This matter had come up yesterday also. The questions have been asked and a discussion had also been held over this issue. It is a continuing matter and how could an adjournment motion be admitted on this. I have asked the Minister to make a statement on this subject.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आपका यह निर्णय है कि इस शासन में भूख से मौतें लगातार हो रही हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें विनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हम इस सदन में सारे देश की बाढ़-स्थिति के बारे में बहस करते रहे हैं, परन्तु बिहार की बाढ़ स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की जानी है। सरकार ने कभी भी इस बारे में पूरा वक्तव्य नहीं दिया। सम्भव है अब सरकार सत्र के अन्तिम दिन वक्तव्य दे और हमें कोई मौका ही न दे (**व्यवधान**) बिहार के कुछ भागों में अभूतपूर्व बाढ़ की भयंकर स्थिति है। सबसे गम्भीर बात तो यह है कि वहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो लोगों की सहायता करती। (**व्यवधान**)

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Government has not honoured its commitment to supply foodgrains to Bihar Government. The Food Minister should be called here....**(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप सब बैठ नहीं जायेंगे, मैं किसी को भी बोलने के लिए नहीं कहूंगा। यह एक समान विषय है और पहले चर्चा की जा चुकी है। यह मामला लगातार आ रहा है। मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहा गया है।

Shri Shyamnandan Mishra : The people are dying of starvation. **(Interruptions)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Bihar Government has failed to meet the situation and the Central Government has not extended the requisite help.

श्री भागवत का आजाद (भागलपुर) : इस बात से सहमत हैं कि बिहार में बाढ़ है और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने 38,000 टन खाद्यान्न प्रति माह की मांग की है और 20 करोड़ रुपये की तत्काल राहत के कार्यों के लिए मांग की है और 10 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए मांगी है। बिहार सरकार द्वारा वितरित 22,000 टन खाद्यान्न पर्याप्त नहीं है। गफ्फूर की सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही कर रही है, परन्तु समस्या तो यह है कि हमारे पास अनाज नहीं है, पैसा नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : वे लोगों की कठिनाइयों से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री पी० एम० सईद (लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह) : केरल में बाढ़ से अभूतपूव नुकसान हुआ है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकता—उत्तर पूर्व) : बिहार और पश्चिम बंगाल तथा अन्य कई राज्य बाढ़ तथा दैवी विपत्तियों से प्रभावित हैं और यही नहीं, सरकार कुछ भी कर सकने में असफल रही है। खाद्य सप्लाई की कमी रही है और पश्चिम बंगाल में भूखमरी के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह वक्तव्य दिया है कि लोगों की मृत्यु भूख के कारण नहीं, बल्कि कुपोषण के कारण हुई है। ऐसा वक्तव्य सारी मानवता के लिए कलंक है। सरकार को देश में व्याप्त जन-भावना से अवगत होना चाहिए। श्री बाजपेयी के प्रस्ताव से संसद् को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिल सकेगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : When a Member rises on a point of order, his submission must be listened to urgently. You are inciting Members for misconduct.... **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली, आप क्यों बार-बार खड़े हो जाते हैं? अगर आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हों, तो अपनी बात कह सकते हैं।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली (कासरगोड): केरल में गम्भीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता—दक्षिण): श्री ज्योतिर्मय वसु और श्री हीरन मुखर्जी अपनी बात बिना व्यवस्था के प्रश्न के कह सकते हैं, फिर कांग्रेसी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? हम इसका विरोध करते हैं। यह अन्याय है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, my point of order relates to the arrangement of business....**(Interruptions)** According to the list of business, adjournment motion should be taken up first. There is no other way now left to raise the matters of urgent public importance. The question of starvation deaths relates to the supply of foodgrains by the Central Government. The adjournment motion must be admitted and immediate discussion must be held on this matter.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी): जैसा कि आपने कहा कि यह मामला इस आशय में एक चलता रहने वाला मामला है कि इस पर पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। मेरा निवेदन यह है कि बाढ़ की स्थिति के ऊपर चर्चा करने का अवसर दें, जिससे मन्त्री महोदय भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय: 35,000 टन खाद्यान्न की मांग की तुलना में 10,000 टन खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को दिया है। 10 व्यक्तियों के भूख से मरने का समाचार मिला है। परन्तु इस सब पर चर्चा हो चुकी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: इससे सरकार की असफलता का पता चलता है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैंने आपको जो कागजात दिये हैं, उनमें बांकुरा, पुरुलिया, बर्दवान, कूच बिहार और बिहार में भूख से मौतें होने का जिक्र है। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): बाढ़ की स्थिति के बारे में अपूर्ण चर्चा हुई थी। आवश्यक सरकारी कार्य के पूरे होते ही उस पर फिर से चर्चा जारी की जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं सदन की अनुमति चाहता हूं और मांग करता हूं कि सदन को स्थगित कर दिया जाये।

श्री के० रघुरामैया: मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जो स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। इनकी संख्या 50 से अधिक है। प्रस्ताव को चर्चा के लिए ग्रहीत किया जाता है।

4 बजे चर्चा प्रारम्भ होगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

भारत के पांचवे सामान्य निर्वाचन, 1971-72 पर भारत के निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन और केरल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत में पांचवें सामान्य निर्वाचन, 1971-72 विवेचनात्मक और प्रतिबिम्बात्मक भाग-पर भारत के निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 8370/74]

(2) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केरल राज्य के बारे में संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 18 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सं० आ० 456 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 19 जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 461 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) कर्नाटक राज्य के बारे में संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 20 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अगस्त 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 479 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं० एल० टी० 8371/74]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसुचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सा० सां० नि० 379(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि० 380(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए स० एल० टी० 8372/74]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन और सुरेन्द्र नगर जिले में लिम्बदी में पुलिस द्वारा गोली-बारी सम्बन्धी प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन (1974)।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8374/74]

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सुरेन्द्र नगर जिले में लिम्बदी में 27 अप्रैल, 1973 को हुई घटनाओं तथा पुलिस द्वारा गोली-बारी संबंधी प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8374/74]

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं नेताजी जांच आयोग रिपोर्ट के बारे में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो सभा पटल पर रखी गई है। इस रिपोर्ट को जान बूझकर लेट किया गया है। कुछ समाचारपत्रों में मंत्रिमंडय का निर्णय प्रकाशित हुआ है। मैं ईश्वर की शपथ खाकर इस सदन में घोषित करना चाहता हूं कि नेताजी अभी भी जीवित हैं। भारत के महानतम क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त नेता के प्रति सरकार ने बहुत बड़ा छल किया है। नेताजी अभी भी जीवित है।

31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारतीय चाय व्यापार निगम, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम, कलकत्ता के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए सं० एल० टी० 8375/74]

बिहार में छात्र आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में 14 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के उत्तर में शुद्धि करने सम्बन्धी विवरण

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं श्री एफ० एच० मोहसिन की ओर से छात्र आन्दोलन के दौरान बिहार में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में श्री जी० पी० यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के 14 अगस्त, 1974 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8376/74)**

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

संसद सदस्यों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों वाला 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : "प्रतिपक्ष" नामक समाचार-पत्र में संसद सदस्यों की कटु आलोचना की गई है। इसके सम्पादक श्री जार्ज फर्नान्डीज हैं। इसका शीर्षक है : "संसद या चोरों दलालों का अड्डा ?" (व्यवधान) इन्दिरा नगद गिरोह की जालसाजी"

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इस देश में अनेक समाचारपत्र हैं और अनेक समाचार पत्र उनमें प्रकाशित होते हैं। आप का क्या प्रयोजन है ?

श्री पीलू मोदी : क्या किसी समाचार पत्र में यह प्रकाशित होता है कि यहां बैठे हुए सभी सदस्य झूठे हैं और उनके हस्ताक्षर जाली बनाये जाते हैं, तो क्या यह विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं है ? या तो आप इसे स्वीकार करें कि यह सच है, फिर मुझे कुछ भी नहीं कहना। या इसकी पूरी जांच कराई जाये और उन सदस्यों का पता लगाया जाय और आरोपों के विरुद्ध सिद्ध होने पर उनके स्थान को लोक सभा में रिक्त घोषित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का मामला किसके खिलाफ ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सम्पादक के खिलाफ।

श्री पीलू मोदी : मैंने आपको आज सुबह यह भेजा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिला नहीं।

श्री पीलू मोदी : अगर रास्ते में ही कहीं गुम हो गया है, तो यह भारतीय इतिहास की ऐसी पहली घटना नहीं है। आप तीन पंक्तियां पढ़कर ही समझ जायेंगे कि इसमें विशेषाधिकार भंग का मामला है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : पत्र के साथ सम्बद्ध सामग्री भी भेजी जानी चाहिए थी। मुझे यह नहीं मिली है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने में क्या कठिनाई है ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जब इस बात के लिए दोनों पक्ष सहमत हैं तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास क्यों नहीं भेजा जाता ?

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : इस मामले का फैसला सदन को ही करना चाहिए। सम्पादक को सदन के सामने बुलाना चाहिए और उसे माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जो कुछ सदन में कहा जाता है उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है । हमें भी इस सदन में बोलते समय सावधानी से काम लेना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यदि हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपते हैं तो हम लोगों के सामने अपने आप को अपनानित करेंगे। हमें समाचार पत्रों अथवा व्यक्तियों को धमकाते समय स्वयं अपने को भी टटोलना चाहिए। हमें इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिए और साथ ही हमें अपने सदस्यों के बारे में स्वयं जॉच करने हेतु भी कार्यवाही करनी चाहिए । यदि हम 21 अथवा 22 कथित हस्ताक्षरों की जांच नहीं करते तो लोग हमारी निंदा करेंगे ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : इस सदन की मर्यादा को केवल सरकार ही चोट पहुंचा रही है। अतः संसदीय जांच जरूरी है अन्यथा हम इस मामले में न्याय नहीं कर सकेंगे। विशेषाधिकार समिति को जांच समिति का काम भी करना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें इस समाचार पत्र के सम्पादक को इस सदन को चोरों का सदन कहने के लिए बधाई देनी चाहिए क्योंकि श्री एल० एन० मिश्र ने भारत सेवक समाज की राशि का गबन किया है। यह सिद्ध हो चुका है कि 21 में से 7 हस्ताक्षर असली हैं? इसलिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना जरूरी है।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है उस समाचार पत्र में कहा गया है कि इस सदन में कुछ दलाल तथा चोर हैं। यह एक गंभीर मामला है। लेकिन माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इस सदन में इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आप उनकी टिप्पणी को कार्यवाही वृतान्त में रहने देंगे अथवा इसमें से निकाल देंगे **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस सम्पादक ने, जो इस सदन का भूतपूर्व सदस्य है, समूचे सदन के बारे में एक गंभीर बात प्रकाशित की है। निश्चय ही यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। और जो कुछ भी लिखा गया है। उसे सिद्ध करने हेतु सम्पादक को साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

मैं इस बात को मानता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए संसदीय जांच जरूरी है इस मामले को केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर ही नहीं छोड़ना चाहिये। अतः मेरा सुझाव यही है कि इस मामले की संसदीय जांच की जानी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Pressure of the Prime Minister and the Minister of Parliamentary Affairs was become so strong that no Congress member can face it. Therefore, my privilege motion against the Prime Minister and the Minister of Parliamentary Affairs may be admitted.

Mr. Speaker : Ruling was already been given over it yesterday.

श्री पी० एम० सईद (लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमनदीवी द्वीपसनूह) : इस समाचार पत्र के संपादक इस सदन के भूतपूर्व सदस्य हैं। आप स्वयं इस समाचारपत्र को पढ़ें। यदि यह विशेषाधिकार समिति के लिए उपयुक्त मामला है तो इसे अवश्य उस समिति को सौंपा जाये।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : This is a serious matter. The Members who are allegedly involved in the affair have not given any clarification, as a result of which their silence is indicating the admission of guilt. The whole matter requires to be looked into thoroughly.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कुछ माननीय सदस्य इस मामले से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। सारे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, उस समय तक किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री सेझियान (कुम्यकोणम्): समाचार पत्र में बताये गये आरोप बहुत गंभीर हैं। अतः सभा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आरोप लगाने वाले व्यक्ति की निंदा की जानी चाहिए और अध्यक्ष महोदय के मामले की पूरी जांच करनी चाहिए।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार, सरकार लाइसेंस घोटाले की संसदीय जांच के लिए सहमत नहीं हो रही है। कहा गया है कि सरकार पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले के तथ्यों की पुष्टि करना चाहती है। क्या सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि इस मामले की संसदीय जांच नहीं करायी जायेगी ? इस मामले की यदि संसदीय जांच नहीं होती तो लोगो का संसद में विश्वास कम हो जायेगा। इसलिए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये और साथ साथ इसकी संसदीय जांच भी आरम्भ कर दी जाये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : पिछले सप्ताह से हमारे सामने लाइसेंस का मामला रहा है। अध्यक्ष महोदय को यह मामला जल्दी से निपटा देना चाहिए। यदि वह सदस्यों की रक्षा नहीं करते और इस मामले को नहीं निपटाते तो आज या कल संसद की प्रतिष्ठा के लिए खतरा पैदा हो जायेगा।

इस मामले के सम्बन्ध में जब तक पूरी स्थिति सामने नहीं आती तब तक किसी को भी सारी संसद को या इसके सदस्यों को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। श्री जार्ज फर्नांडीज को संसद की बदनामी करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे उनका दृष्टिकोण कुछ भी हो। मैं अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कहें। इसके साथ आपसे यह अनुरोध भी करता हूं कि आप इस बारे में अपना निर्णय दें।

मुझे खेद है कि श्री ज्योतिर्मय बसु कुछ समय से आपत्तिजनक बातें कह कर इस सदन का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। आप उनका मार्गदर्शन करें कि एक संसद सदस्य का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस दल के सदस्यों को चोरों का गिरोह और दलाल कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री एल० एन० मिश्र को हटाने हेतु विधिवत रूप से प्रस्ताव दिया है और मैंने पूरी जिम्मेदारी से ऐसा किया है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता तो वहां की सरकार को अपदस्थ होना पड़ता।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैंने वह समाचार पत्र नहीं पढ़ा है। इस मामले में हमारे मन में कोई बात नहीं है।

माननीय सदस्य इस मामले में बहुत उत्तेजित हैं। वे इस मामले की संसदीय जांच कराना चाहते हैं । सरकार स्वयं भी इस बारे में काफी चिंतित है।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, इसकी जांच हो रही है। मामला दर्ज कर दिया गया है **(व्यवधान)**

इस मामले की वास्तविक जांच न्यायालय ही कर सकता है। इसके बाद ही यह सभा उस पर अपना निर्णय दे सकती है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जांच पूरी होने के बाद सरकार कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी।

श्री सेंज़ियान : मामला कब दर्ज किया गया ?

श्री एच० आर० गोखले : इसे पिछले दो दिनों के दौरान दर्ज किया गया।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had apprehensions about the intentions of the Government for rendering the discussion meaningless by bringing in court etc. in it, so that involved persons could be protected. So many members, including Congress members, have favoured probe by the a Parliamentary Committee. How the Law Minister says that this case has been registered.

I want to know as to what happened to the case of an hon. Member, Shri Tul Mohan Ram, who has not said so far that his signatures are not genuine ? Will this matter be referred to the Court ? Will the conduct of Members of Parliament be looked into by some Government agency or the Court, but not by a Parliamentary Committee ? Mr. Speaker, Sir, you will recollect that a similar issue was raised in Provisional Parliament and on 6th June, 1951 Shri Jawahar Lal Nehru had said, "The dignity of the House and the proper behaviour of every individual Member is dear to the House." At that time Prime Minister did not say that the issue is being entrusted to C.B.I. He being a true democrat, referred the whole issue to a Parliamentary Committee. But today the norms and values of Government have changed. The entire House is being put to contempt but Government is not prepared to entrust this issue to a Parliamentary Committee.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I would like to draw your attention towards rule 186 which is about the admisibility of a motion. The statement of the hon. Law Minister tends to sabotage the rights of this House. According to the admisibility rules of a motion, it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.

I informed you yesterday that Government will file F.I.R. and a case will be instituted. How they are doing the same thing. They are trying to sabotage the healthy

traditions of this House. Kindly permit me to bring a privilege motion against the Law Minister (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय ने सदन में वक्तव्य दे दिया है तो फिर उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो जाता है। आपने प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सब से महत्वपूर्ण बात यह कि क्या यह मामला संसद में उठने से पहले दर्ज हुआ था या बाद में? यदि यह मामला संसद में उठाये जाने के बाद दर्ज हुआ है तो निश्चय ही यह बहुत ही बुरी बात है और इससे अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हुआ है, संसद के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है।

श्री बंसत साठे (अकोला) : श्री पीलू मोदी द्वारा पहले ही नियम 223 के अंतर्गत विशेषाधिकार का मामला उठाया जा चुका है और वह सदन के विचाराधीन है। अब उसी विषय पर श्री लिमये द्वारा इसी बैठक में फिर वही प्रश्न उठाया जा रहा है परन्तु नियम इसकी अनुमति नहीं देते। अतः हम श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव पर ही विचार करना चाहेंगे। यदि सभी सदस्य एकमत से यह चाहें कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये, तो और अधिक समय नष्ट किये बिना ही इसे शीघ्र कर दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमंड हार्बर) : मुकद्दमे की कार्यवाही अब से दो ही दिन पूर्व आरम्भ की गई थी। काफी हद तक यही संभावना है कि यह कार्यवाही सोमवार को ही आरम्भ की गई थी। शनिवार को जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय दी थी कि इस मामले पर सदन में ही चर्चा की जानी चाहिए। अब बीच में ही सरकार ने यह मामला न्यायालय में ले जाने का निर्णय कर लिया है जबकि सदन ही इस मामले पर विचार करने जा रहा था। अतः यह मामला सदन के प्रत्यक्ष अध्ययन का है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने यह नहीं कहा है कि यह मामला न्यायालय में चला गया है मैंने केवल यही कहा था कि मामला दर्ज हो गया है तथा इसकी जांच आदि का काम आरम्भ हो गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं था कि चूंकि यह मामला 'न्यायालय' में विचाराधीन पड़ा है, अतः इसमें सदन पर चर्चा नहीं हो सकती। मैंने तो केवल सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया था।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Speaker, Sir, I have got a point of order. This issue first came up as a privilege motion. Later on Prof. H. N. Mukherjee and some other Members wanted to know the facts of the case. As a number of Members of Parliament are involved in the case, and the House is anxious to enonerate them, therefore a Parliamentary Committee is being demanded for the purpose....**(Interruptions).**

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : जहां तक मैं सदन की कार्यवाही समझ पाया हूं वह यही है कि किसी समाचार पत्र द्वारा संसद तथा संसद सदस्यों के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी प्रकाशित की गई है। श्री पीलू मोदी द्वारा इसके बारे में विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अब यह प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है। श्री गोखले ने इस मामले में केवल इतना ही कहा है कि यह मामला पुलिस में दर्ज हो गया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन

है। अतः श्री गोखले के विरुद्ध जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह अलग प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि पहले मामले पर विशेषाधिकार समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए, कि क्या वास्तव में यह विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी मामला है या नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) जहां तक श्री पीलू मोदी के विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रश्न है, उसके बारे में सभी का यही मत है कि यह विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का उपयुक्त मामला है। परन्तु हमारे समक्ष वर्तमान समस्या इसलिए उत्पन हुई है क्योंकि विधि मंत्री श्री गोखले ने एक असंगत सी बात कह कर इसके हस्ताक्षेप किया है। अब हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि विधि मंत्री ने जो हस्ताक्षेप किया, क्या वह हस्ताक्षेप नियमों के अंतर्गत अपेक्षित था या नहीं। मैं समझता हूं कि उन्होंने संसद के समक्ष संपूर्ण मामले को बिगाड़ने का प्रयास किया है। अतः श्री मधु लिमये ने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाकर ठीक ही किया है। अब सरकार का आशय संदिग्ध जान पड़ता है। सदन में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या उस रजिस्ट्री का सम्बन्ध किस से है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि दोनों ही प्रस्ताव पूर्णतया अलग-अलग है परन्तु सदन को उन्हें स्वीकार करके उन पर एक साथ विचार आरम्भ कर देना चाहिए।

श्री एच० आर० गोखले : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह असंगत नहीं है । वह अलग विशेषाधिकार का मामला था परन्तु उसके साथ दूसरे मामले को जोड़ दिया गया है। सरकार की आलोचना की गई है। मैंने तो केवल सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए हस्ताक्षेप किया था। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि इस पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : My first point is that the language and style of "Prathilaksh" newspaper was the main subject of criticism in this House and the privilege motion of Shri Piloo Mody was accepted for the same. The entire discussion on the subject has painted a very disty image of this House.

Secondly, when persons of the stature of Prime Minister and Law Minister have said it in the Press as well as in Party meetings that it will be enquired into by C.B.I. and not by a Parliamentary Committee, they have sabotaged the demand of a Parliamentary probes.

Thirdly, the intervention of the Law Minister that it is **sub-judice** is a well calculated more to sabotage the demand of a Parliamentary Probe. They all have degraded the image of this august House and I propose that serious action should be taken against them.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : विधि मंत्री के हस्ताक्षेप से मेरी शंका की पुष्टि हो गई है कि सरकार इस मामले को अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र से निकाल कर सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाना चाहती है। इसीलिए हमने अध्यक्ष महोदय से कहा है कि वह इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करें। तथा इसके साथ ही श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव पर भी निर्णय करांएं ताकि इस समूचे मामले की जांच करवाई जा सके।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बीसरहाट) : मत दो दिनों से ही प्रतिपक्ष द्वारा सी. बी. आई. की आलोचना की जा रही है । इससे पूर्व अनेक ऐसे ही अवसरों पर प्रतिपक्ष में सी. बी. आई. की जांच की मांग

की है । क्या यह प्रतिपक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस समय किस प्रकार की जांच की मांग करे । श्रीमान् जी, आप तो स्वयं एक अच्छे वकील है और यह बात अच्छी तरह जानते है कि जब किसी विषय की जांच एक निकाय द्वारा की जा रही है तो फिर उसी समय उसको जांच किसी अन्य निकाय द्वारा करवाने का स्पष्ट अर्थ दोनों का टकरार ही होता है । अतः पहले सी बी आई. की जांच पूरी होने दी जानी चाहिये ।

श्री पीलू मोदी (गोदरा) : मैं नियम 225 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

"कि 'प्रतिपक्ष' के हाल के संस्करण में प्रकाशित कहानी से उत्पन्न विशेषाधिकार के प्रश्न की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये, सभा यह भी संकल्प करती है कि इस मामले में सम्बन्धित सारे दस्तावेज और फाइलें जब्त कर ली जाये और संसद की देखरेख में रखी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : पहले कभी ऐसी प्रथा नहीं रही है । आप नियम 222 के पहले मेरे पास भेजिये तथा उसके बाद कोई अन्य मामला प्रस्तुत कीजिये ।

श्री पीलू मोदी : ऐसी कोई बात नहीं है वास्तव में आपने सभी असंगत बातों की चर्चा करने की अनुमति दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मुझे भेज दिया है। मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने भी नियम 222 के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजा था उसका क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : (शाजापुर) : आप किसी के प्रस्ताव पर भी विचार कर लीजिये । हम सभी से सहमत हैं ।

Shri Madhu Limaye : According to the procedure regarding Privilege Motions, in the beginning, a notice is given. Then comes rule 225. According to this rule, the Speaker, if he gives consent under Rule 222 holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the questions and before the list of business is entened upon, call the member concerned, who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto.

Then next is rule 226 and according to these rules, the motions of Shri Mody is in order.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अब भला समस्या ही क्या है ? श्री पीलू मोदी ने जो प्रस्ताव आपको भेजा था वह उन्होंने पढ़ दिया है। वह नियम 222 के अन्तर्गत भेजा गया था। विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव के तीन चरण हो सकते हैं जोकि नियम 222, 225 तथा 226 के अन्तर्गत आते हैं। अब वह अपने प्रस्ताव का अन्तिम चरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका प्रस्ताव पूर्णतया नियमों के अन्तर्गत है और उन्होंने उसमें बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात सुन रहा हूं। आप बीच में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं अपने प्रस्ताव के अन्तिम भाग में संशोधन करने के लिये तैयार हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें। हमें नियमों का पालन करना है।

श्री दिनेश सिंह : जो प्रस्ताव पहले भेजा गया है, वह प्रस्ताव नहीं, नोटिस था हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा अन्तर है। नोटिस समाचार पत्र के विरुद्ध दिया गया है । हमें देखना है कि पत्र में क्या छापा गया है।

श्री के० रघुरामैया : श्री पीलू मोदी द्वारा दिये गये नोटिस पर अवश्य विचार किया जायेगा। इसके लिये एक दिन का समय आवश्यक है।

श्री पीलू मोदी : यह मामला समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है फिर भी मंत्री महोदय एक दिन का समय चाहते हैं। यह बात मेरी समझ से बाहर है। यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाता तो इससे संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन होगा।

श्री कार्तिक उरांव (लोहरडगा) : विशेषाधिकार प्रश्न की स्वीकार्यता के बारे में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम संख्या 224 में कहा गया है:

विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे;

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

विशेषाधिकार के इस मामले ने भी संसद की प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता को ठेस पहुंचाई है। इस लिये पत्र में छपे विषय को विशेषाधिकार का विषय न मानकर प्रकाशन का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहिय क्योंकि उसने ही संसद की प्रतिष्ठा और मान को चोट पहुंचाई है।

दूसरी बात यह है कि संसद से बाहर हुई घटना को विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इससे संसद की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : एक साथ कई विशेषाधिकार प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये नोटिस का पाठ विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव के पाठ से भिन्न है। यह एक गम्भीर बात है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये नोटिस को पेश किया जाना चाहिये। हम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम संख्या 224 और 225 में 'विशेषाधिकार का प्रश्न' शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः नियम संख्या 224 के अन्तर्गत अनुमति देते समय सदस्य को 'प्रश्न' तक ही सीमित रहना होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने जब चर्चा की अनुमति दी तो हमने समझा कि जब तक नियम संख्या 22 के अन्तर्गत प्रस्ताव न रखा जाये, मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जायेगा। अब मेरा विचार यह है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी प्रक्रिया सम्बन्धी बात स्पष्ट कर दी थी। मुझे दो प्रस्ताव भेजे गये थे। मैं पहले प्रस्ताव को ठीक समझता हूं। अतः मूल प्रस्ताव को कल पेश किया जाये।

श्री पीलू मोदी : 'प्रतिपक्ष' के नवीनतम अंक में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि जिन सदस्यों ने जाली हस्ताक्षर होने का आरोप लगाया था, झूठ बोल रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह हस्ताक्षर श्री एल० एन० मिश्र ने करवाये थे। रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार की 'गंगोत्री' कह होने का आरोप लगाया गया है। यह माननीय सदस्यों और पूरे सदन के लिये अवमान की बात है। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के लिये प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य प्रस्ताव पेश करने के पक्ष में हैं, वह अपनी सीटों से खड़े हो जायें।

श्री के० रघुरामैया : हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अपेक्षित संख्या से अधिक सदस्य पक्ष के लिये खड़े हुये हैं, इसलिये प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। प्रस्ताव पर चर्चा 4 बजे तक समाप्त कर दी जानी चाहिये क्योंकि उसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें आधा घंटा मध्याह्न भोजन के लिये उठ जाना चाहिये और उसके बाद हम चार बजे तक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five minutes past fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

रेल कर्मचारियों के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में

RE. CALCUTTA HIGH COURT JUDGMENT IN RAILWAY EMPLOYEES CASE

प्रो० मधु दण्डवते : रेलवे कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1968 के उप नियम 14(11) के अधीन कई रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने सम्बन्धी आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इस निर्णय से रेलवे कर्मचारियों के कष्टों का निवारण हुआ है। मुझे आशा है कि सरकार यह आश्वासन देगी कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय का आदर करेगी और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं देगी और इस बात के लिये प्रयन्तशील रहेगी कि मजदूरों को भविष्य में तंग न किया जाये ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (ग्रौसग्राम) : मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं ग्रौर चाहता हूं कि नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस ले लिया जाये।

श्रीएस० एम० बनर्जी : ग्रनुपूरक ग्रनुदानों की मांगों पर चर्चा करने से पूर्व मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये कि वह सभी कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस ले लेंगे।

ग्रनुदानों की मांगों में नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान के लिये राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राप रेलवे मंत्री को निदेश दें कि वह इसकी व्यवस्था करें ग्रन्यथा मांगों पर चर्चा करने में कठिनाई होगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं। इसके ग्रतिरिक्त मैं यह भी चाहती हूं कि जिन कर्मचारियों की ग्रपील रद्द हो गई है ग्रौर जिनको मुग्रत्तल तथा बर्खास्त करने का निर्णय किया गया है, उन्हें भी नौकरी पर वापिस ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: ग्रब ग्रनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी: मेरी ग्रापसे ग्रपील है कि ग्राप मंत्री महोदय को निदेश दें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार माननीय सदस्य के विचारों को ध्यान में रखेगी।

श्री धामनकर : मैंने नियम संख्या 377 के ग्रधीन नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय नोटिस पर चर्चा का नहीं है।

श्री धामनकर : समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं कि नागपुर में पोलिसीधारियों के वेतनों से काटी गई प्रीमियम कई वर्षों से समायोजित नहीं की गई हैं। यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

संसद् सदस्यों के बारे में ग्रपमानजनक टिप्पणियों वाला 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह एक ऐसा मामला था जो सीधे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना था। लेकिन ग्राश्चर्य की बात है कि ग्रध्यक्ष महोदय ने पहले तो प्रस्ताव पेश करने के लिये कहा ग्रौर बाद में विधि मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने का ग्रवसर दिया। यही नहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी मेरे प्रस्ताव का विरोध किया, क्या संसदीय मंत्री यह समझते हैं कि यह मामला विशषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाना चाहिये। ग्रगर वह ऐसा समझते हैं ग्रौर यह भी जानते हैं कि ग्रखबारों में छपा मामला सच है तो मेरा सुझाव है कि संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध भी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ समय मांगा है। क्या वह यह सोचने के लिये समय चाहते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये ग्रथवा नहीं। क्या वह मेरे प्रस्ताव की भाषा को बदलना चाहते हैं? समय मांगने का उद्देश्य क्या है?

यह मामला तुरन्त विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये था। परन्तु सरकार जानबूझकर इस मामले में देरी कर रही है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि इस संसद को प्रधानमंत्री सचिवालय के हाथों में पुतली बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री को अमुक कार्य करने का अनुदेश देता है। (व्यवधान)

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अगर यह गलत है तो मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रधानमंत्री का सचिव कांग्रेस सदस्यों और मंत्रियों के कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजता रहता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : प्रतिपक्ष का उद्देश्य सभा के नेता की निन्दा करना है। सभा के कार्य में विघ्न डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के दौरान कोई सदस्य हस्तक्षेप करता है तो उसकी आलोचना करने के लिये हम आपका आदेश मांगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही ठीक चले तो आपको यह गड़बड़ी रोकनी होगी।

श्री पीलू मोदी : संसद् तथा संसदीय प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सत्तारूढ़ दल के कार्यों के गुण दोषों की आलोचना करे। हमें जनता ने इसी कार्य के लिये निर्वाचित करके भेजा है। माननीय सदस्य शायद इसलिये चिन्तित है कि सभा के नेता की आलोचना की जा रही है। जब तक माननीय सदस्य अपने विशेषाधिकारों का समुचित उपयोग करना नहीं जानेंगे, तब तक ये संसद सदस्य के रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस सम्बन्ध में एक विभिन्न बात यह देखने में आती है कि 21 संसद सदस्यों ने पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार की नीति को बदला है । यही हमारी शिकायत है । मंत्री महोदय यह तर्क दे रहे हैं कि 21 संसत्सदस्यों ने दवाव डाल कर उन लोगों को लायसेंस जारी करने को बाध्य किया है जिन्हें पहले लायसेंस देने से मना कर दिया गया था। इसी मामले का दूसरा पहलू यह है कि कुछ हस्ताक्षर तो दबाब डाल कर करवाये गये तथा कुछ धोखे से करवाये गये और कुछ हस्ताक्षर जाली हैं। इस प्रकार सत्तारूढ़ दल अब दूसरी ही कहानी पेश कर रहा है और अपने अनुसार ही हालात बनाने के लिये एक के बाद दूसरे तर्क पेश कर रहा है । हाथ का खिलौना बने सदस्यों से न केवल जाली हस्ताक्षर कराये जाते हैं बल्कि उन्हें मिथ्या साक्षी भी बनाया जा रहा है। अब जिन सदस्यों ने इनकी जांच करने हेतु एक संसदीय जांच समिति बनाने की मांग की उन्हें ही अपना पत्र वापस लेने को बाध्य किया जा रहा है। लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में यह एक विचित्र घटना रहेगी। वे लोग पहले तो यहां कुछ मांग कर बैठते हैं परन्तु फिर उसी मांग को वापस लेते हैं क्योंकि यह मांग उनके नेता को पसन्द नहीं है। यह सब कुछ नागरवाला, मारुति तथा फ्लाई ओवर घोटालों पर पर्दा डालने के लिये किया गया है।

यदि सरकार सभी घोटालों पर पर्दा डालना चाहती है तो फिर इस संसद की क्या जरूरत रह जाती है? ये इतने संगठन और संस्थान क्यों बनाये गये हैं? राष्ट्रपति पद का भी यहां कितना महत्व है? देश के मंत्रिमण्डल की भी यहां कितनी शक्ति है? इसे तो केवल एक रबड़ की मोहर मात्र की शक्ति प्राप्त है। अनेक मंत्रियों को तो कई बार यह भी नहीं मालूम होता कि उनके मंत्रालयों के बारे में क्या निर्णय किया गया है। श्री स्वर्ण सिंह को भारत सोवियत संधि तक का पता नहीं था । श्री चव्हाण को हाल ही के अध्यादेशों तक की जानकारी नहीं थी इससे अधिक आप क्या प्रमाण चाहते हैं ? जरा विपक्ष की दशा देखिये। हमारे न्यायालय आज वचनबद्ध तथा भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। समाचार

पत्र भी दिन रात सरकारी दृष्टिकोण ही पेश करते हैं। जनमत तो देश में बन ही नहीं पा रहा है। देशवासियों को जानबूझकर अशिक्षित और अज्ञानपूर्ण रखा जा रहा है ताकि उन्हें चाहे जिस मार्ग पर मोड़ा जा सके। 15 वर्ष पहले देश में 21 करोड़ लोग अनपढ़ थे और आज 35 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। यह इस सरकार ने तरक्की की है। आज देश में बस यही सरकार बन सकती है और चाहे जो कर सकती है। चाहे जितना भ्रष्टाचार फैला सकती है।

परन्तु ऐसा हमेशा तो नहीं चलेगा। अब देशवासियों का रोष बढ़ने लगा है। अपराधों और हिंसा के मामले तथा गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। श्री जयप्रकश नारायण ने जो आन्दोलन अब आरम्भ किया है वैसा छः मास पूर्व गुजरात में भी हो चुका है। हद की बात है कि एक संबंधित तथा महत्वपूर्ण पत्र को संसद के सामने नहीं आने दिया गया। निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रधान मंत्री उनका मंत्रिमण्डल, संसदीय कार्य मंत्री तथा कांग्रेस दल सभी संसद को बस उतना ही समझते हैं। जैसा कि एक पत्र में कहा गया है। अतः मैं तो यही समझता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा हम यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दी गई है तो नियम 226 के अन्तर्गत कर रहे हैं जिसके अनुसार यह सभा यह तो प्रस्ताव पर चर्चा करके स्वयं निर्णय ले या फिर प्रस्तावक अथवा किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजे।

श्री मोदी को अनुमति अध्यक्ष महोदय ने दी थी और अब मैं समझता हूं कि श्री मोदी ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। परन्तु मुझे अभी तक यह मालूम नहीं है कि वह प्रस्ताव वस्तुतः क्या है। मेरे सामने तीन पत्र हैं। एक तो वह मूल पत्र है जो श्री मोदी ने अध्यक्ष को भेजा जो कि नोटिस के रूप में है। एक नोटिस तो प्रस्ताव नहीं हो सकता दूसरा एक कागज श्री मोदी द्वारा हस्ताक्षरित है जो प्रस्ताव की शक्ल में है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कृपया उसे पढ़िये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें लिखा है :—

"That the question of privilege arising out of Pratipaksh story in its latest issue be referred to the committee of Privileges for full investigation and report. That the House further resolves that all the documents and files connected with the case be seized and kept."

श्री पीलू मोदी : इसके पीछे भी कुछ लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : पीछे कुछ नहीं लिखा है।

इस प्रस्ताव पर श्री मधु लिमये तथा श्री ज्योतिर्मय बसु का एक संशोधन भी है। यह निम्न प्रकार है :—

"That in the motion,—

add at the end :—

"That this House further resolves that all the documents in connection with the Licence Case be seized and kept under the custody of the Speaker; and that the Committee submit its preliminary report before the end of the Winter Session of Parliament."

मेरे पास बस यही पत्र हैं । श्री मोदी का प्रस्ताव मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है । वह अपना प्रस्ताव पेश करेंगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : वह तो नियम 226 लागू होने के बाद होगा । अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की थी कि उन्होंने श्री पीलू मोदी के मूल प्रस्ताव तथा बाद में पढ़े गये प्रस्ताव में कुछ अन्तर है । जब मूल प्रस्ताव पढ़ा गया तो अध्यक्ष महोदय उस नोटिस को ही प्रस्ताव माना और उसे पेश करने की अनुमति सभा ने की थी ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : इसमें प्रक्रिया संबंधी एक मामला है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये । यहां कुछ भ्रम है कि क्या विशेषाधिकार के मामले के लिये कोई प्रस्ताव पेश होना चाहिये ।

नियम 222, 223, 224 तथा 225 में "विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना" शब्द हैं "प्रस्ताव" शब्द नहीं हैं, नियम 225 में लिखा है :—

"The Speaker, if he gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place, and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement...."

नियम 226 में भी "प्रस्ताव" (मोशन) का उल्लेख नहीं है । नियम 222 से 227 में "प्रस्ताव" (मोशन) का उल्लेख नहीं है । इनमें जान बूझकर शब्द "प्रश्न" (क्वेश्चन) का उल्लेख है ताकि "प्रस्ताव" का भ्रम न हो । अतः प्रस्ताव की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है । बस विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाया जा सकता है । इसमें संशोधन पेश करने की गुंजाईश नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यहां मध्याह्न भोजन काल से पहले थे ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : श्रीमन्, आप मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । जब एक बार सभा की अनुमति मांगी जा चुकी है और अनुमति सभा ने दे भी दी है तब आप सभा की अनुमति बिना चर्चा के विषय को व्यापक नहीं कर सकते चर्चा उतने विस्तार में रहे जितने के लिये अनुमति मिली है। अन्यथा फिर पुनः सभा की अनुमति प्राप्त की जाये । मेरे कहने का अर्थ है कि यह संशोधन गलत हैं और उसी तरह श्री मधु लिमये का यह प्रश्न की चर्चा को व्यापक बनाया जाये यह भी गलत है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये । उसे अपना विनिर्णय देने दीजिये । आज प्रातः इस पीठ पर बैठने से पूर्व मैंने सोचा था कि मेरे भेजे में भी कुछ बुद्धि है भले ही श्री पीलू मोदी इससे सहमत नहीं । परन्तु श्री गोस्वामी की बात सुनकर मुझे स्वयं पर भी सन्देह होने लगा है । बताईये आज हम दिन भर क्या करते रहे ?

सब कुछ कार्यवाही में शामिल है । श्री पीलू मोदी ने प्रश्न उठाया और अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी तथा तदुपरान्त काफी चर्चा रही । फिर श्री मोदी को सभा की अनुमति मांगने को कहा गया । एक समय तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि शायद इस प्रस्ताव का कोई विरोध ही नहीं है... (व्यवधान)

श्री के० रघुरामैया : मैंने बोलने की अनुमति मांगी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारी स्थिति सामने रख रहा हूं आप चाहें तो मेरे कथन में शुद्धि कर सकते हैं । हां, तो इसके बाद यह पूछा गया कि उक्त प्रस्ताव का कोई विरोध तो नहीं कर रहा है । तब मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री उठे और उन्होंने इसका विरोध किया । अब क्योंकि विरोध भी सामने आ गया था अतः अनुमति लेने के पक्ष में सदस्यों को खड़े होने को कहा गया और वे खड़े हुए। मैं नहीं जानता कि उनकी संख्या कितनी थी परन्तु शायद यह निश्चय हुआ कि अपेक्षित संख्या थी जो कि 25 से अधिक होनी चाहिये ।

अब जबकि इतना कुछ प्रातः हो चुका है अनुमति दी गई है, हम नियम 226 के तृतीय चरण में हैं । इस नियम के अनुसार यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति देदी गई है तो सभा उस प्रश्न पर विचार कर सकती है और निर्णय कर सकती है। और सभा हमेशा किसी प्रस्ताव पर ही निर्णय करती है । प्रश्न सभा के समक्ष रखा जाता है तभी कोई निर्णय होता है ।

अब अन्तर केवल इतना ही रह गया है कि सभा इस संबंध में स्वयं कोई निर्णय करे अथवा कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दे प्रश्न बस इतना सा है । अतः इस में अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, you have stopped me in between as you usually do. However, just to avoid dragging on the controversy, I draw your attention to Rule 364 which says :—

> "A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made....."

Now the question is as to what motion is. The speaker has pointed out a difference between the Notice put and the motion which was read out by Shri Piloo Mody and therefore he ruled that the last paragraph which was added later should be omitted out *i.e.* the mention of putting certain paper concerning the seizure of the documents be omitted from the motion. Thus only the first paragraph remained. Had there been the motion in full, I would not have sent the amendment ?

I brought herewith the two forms prescribed for Privilege Motions. This one is against Shri S. C. Mukerjee. It reads :—

> "That the question of privilege against Shri N. N. Wanchoo former Secretary Department of Steel and....."

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्या मामला बीच में ला रहे हैं ? वह केवल प्रस्ताव की औपचारिकता बतायें । मैं तो अब वही मानूंगा जो कि सभी निर्णय करेगी ।

Shri Madhu Limaye : I am stating the form and its structure. But you don't want to hear me.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये की बात अवश्य सुना करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वह नियमों को जानते हैं और मैं उसका लाभ उठाता हूं । परन्तु अब तो प्रश्न यह है कि प्रस्ताव का स्वरूप क्या हो । श्री श्यामनन्दन मिश्र के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि श्री पीलू मोदी की सूचना को ही प्रस्ताव मान लिया जाये । यदि सभा इसमें कुछ थोड़ा-बहुत हेर-फेर करके भी स्वीकार लेती है तो यह स्वीकार्य हो जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : आपने वे परिस्थितियां बतादी हैं जिसमें प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ।

जब अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है तब इसमें कुछ जोड़ने की क्या जरूरत रह जाती है । अतः अब चर्चा इसी पर हो ।

श्री० मधू दण्डवते : किसी भी प्रस्ताव पर संशोधन पेश किया जा सकता है ।

श्री के० रघुरामैया : कोई संशोधन पेश करना एक अलग बात है परन्तु इस प्रकार इस प्रस्ताव में तो फेर बदल नहीं किया जा सकता

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम की बात है । प्रस्ताव स्वीकार्य होने पर उस पर संशोधन पेश किया जा सकता है । अतः श्री लिमये अपना संशोधन पेश करें ।

Shri Madhu Limaye : I beg to move. That in the motion,—
add at the end :—

"That this House further resolves that all the documents in connection with the Licence Case be seized and kept under the custody of the Speaker; and that the Committee submit its preliminary report before the end of the Winter Session of Parliament"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन पेश हो गया है । आप इस पर बाद में बोलें ।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या आप प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं ? परन्तु अभी तो आप सभा के निर्णय की बात कह रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोयदय : सभा इस पर चर्चा किये बिना निर्णय कैसे करेगी ? **(व्यवधान)**

श्री बी० वी० नायक : हमने यह पत्र आज पहली बार देखा है ।

श्री सेज़ियान (कुम्बकोणम्) : आपने कहा था कि अब जैसी स्थिति आ गई है कि सभा इस पर निर्णय करे या फिर इसे विशेषाधिकार समिति को भेजे । अब इस पर चर्चा से पूर्व सभी सदस्यों को वे सभी संबंधित कागजात अर्थात् मूल ज्ञापन जो कि 21 सदस्यों ने दिया, मंत्री महोदय की सिफारिश पर इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा गया, आदि आदि। उक्त दस्तावेज़ मिले बिना तो चर्चा निरर्थक ही रहेगी ।

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने संशोधन सहित प्रस्ताव का मूल पाठ जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं कुछ मौखिक संशोधन इस प्रस्ताव में कर दूंगा ।

श्री के० रघुरामैया : संशोधन का प्रश्न ही कहां है । जो कुछ अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है, वही प्रस्ताव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हममें कोई मतभेद नहीं है। हम श्री पीलू मोदी की सूचना का सारांश ही लेंगे ।

प्रो० मधू दण्डवते : प्रस्ताव को ज्यों का त्यों न लीजिये क्योंकि इसका पहला शब्द "अध्यक्ष महोदय्" है जो कि प्रस्ताव में शामिल नहीं हो सकता ।

Mr. Deputy Speaker : The motion will be like this :—

"The report in the latest issue of *Prati Paksha* says that some of the 20 MPs who denied the genuineness of their signatures to the Licence Memorandum were telling a lie. The report also says that these signatures were manipulated by the Minister for Railways, Shri Lalit Narain Mishra. The front page report denounces the Prime Minister as the main source of corruption. That this is a gross contempt of the hon. Members and of the whole House."

Then, the amendment says :

"That the in the motion, *add* at the end :

"That this House further resolves that all the documents in connection with the Licence Case be seized and kept under the custody of the Speaker; and that the Committee submit its preliminary report before the end of the Winter Session of Parliament."

श्री मधु लिमये : अब हमें इसे संशोधित करने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय् : इसे संशोधित नहीं किया जा सकता ।

श्री बि० वी० नायक : इस पत्र पर तारीख 8 सितम्बर, 1974 है परन्तु आज तो 3 सितम्बर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो झमेला है । माननीय सदस्यों ने कहा था जबकि अध्यक्ष महोदय ने श्री पीलू मोदी की सूचना को प्रस्ताव माना था ।

श्री मधु लिमये : आप उसे भूल जाइये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे भूल जाऊ ? यही तो झमेला है कि जब मैं सभा में आया तो उस समय औपचारिक स्वरूप में कोई प्रस्तव नहीं था उसमें अध्यक्ष महोदय ने जिसे सूचना को प्रस्ताव मान लिया उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा । अन्यथा फिर कोई प्रस्ताव दे ही नहीं ।

श्री पीलू मोदी : जब अध्यक्ष महोदय ने दूसरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और पहले को ही प्रस्ताव मान लिया तो मैंने उस सूचना को ही प्रस्ताव में परिणत कर दिया था । वह इस प्रकार है :

"May I draw your attention to the report edited in the latest issue of 'Prati Paksh' (copy enclosed) published by a former Member of Parliament.

The report says that some of the 20 MPs who denied the genuineness of their signatures to the Licence Memorandum were telling a lie. The report also says that these signatures were manipulated by the Minister for Railways, Shri Lalit Narayan Mishra. The front page report denounces the Prime Minister as the main source of corruption. This is a gross contempt of the hon. Members and of the whole House. I should be grateful, therefore, if you will refer this matter to the Privileges Committee."

श्री के० रघुरामैया : क्या अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव में वह अन्तिम वाक्य भी है जिस पर चर्चा चल रही है ? क्या अध्यक्ष महोदय ने उस पंक्ति को भी प्रस्ताव का अंग माना है ?

श्री पीलू मोदी : मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि मैंने अन्तिम पंक्ति भी पढ़ी थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसी लिये मैंने टिप्पणी की थी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव के साथ भी उद्देश्यों और कारणों का विवरण होना चाहिये । इस प्रस्ताव के पहले भाग में तो टिप्पणियां हैं औ अन्तिम लाईन कार्यवाही करने के लिये है अर्थात् इस विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये । यह तो स्पष्ट है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मेरे विचार से जिस प्रस्ताव पर विचारार्थ स्वीकृति के लिये माननीय सदस्यों को खड़ा होने के लिये कहा गया था वह प्रस्ताव ही विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये था । आपने भी 40 मिनट तक यहां चर्चा सुनी परन्तु प्रस्ताव सभा में नहीं पढ़वाया जबकि यह प्रक्रिया है कि ऐसे प्रस्ताव पढ़वाये जायें । इसलिये यह तो मान ही लिया गया था कि उक्त प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) · श्रीमन्, जब अध्यक्ष महोदय ने श्री मोदी को अपना प्रस्ताव पढ़ने को कहा था तो उन्होंने पढ़ा था । मैंने सोचा था कि यदि नियम 222 के अधीन कोई विशिष्ट प्रस्ताव न आया तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे इसलिये मैंने तुरन्त ही नियम 222 के अधीन प्रस्ताव पेश कर दिया था । उसके शब्द स्पष्ट हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाये । अब प्रस्ताव पेश है और उस पर चर्चा चल रही है ।

अब इसपर आपको विचार करना है कि आप इसको चर्चा के बाद विशेषाधिकार समिति को भेजने की अनुमति देंगे अथवा श्री पीलू मोदी के विचार सुनने के बाद स्वतः भेजेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि श्री पीलू मोदी द्वारा दी गई सूचना को प्रस्ताव करार दिया जायेगा । क्या इस संबंध में भी कोई मतभेद है ? जब यह निश्चित हो गया कि इस पर प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जानी है तो अब उसके रूप को ठीक करने की बात ही रह जाती है ।

श्री मधु लिमये (बांका) : इस प्रस्ताव पर नियम 222 के अधीन विचार किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने नाम से एक संशोधन की सूचना दी थी, जिसको आपने प्रस्तुत किया है, वह किस प्रस्ताव में संशोधन के बारे में थी ?

Shri Madhu Limaye : The Notice of Shri Piloo Mody will be treated as motion. Now I had to give an amendment and I took it as a motion. You may kindly give your ruling whether I am wrong ? Had there been no motion about the Committee, I would have not sent my amendment. It was stated "That the notice given by Shri Piloo Mody against *Pratipaksha* be referred to the Privileges Committee." If there is no motion, question of any amendment thereon does not arise.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियम 226 की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम 225 की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं । श्री पीलू मोदी के विचार सुनने के बाद मैंने अभी-अभी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ....

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कैसे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जबकि मैंने आपको इसकी अनुमति नहीं दी है । नियमों के अनुसार केवल श्री पीलू मोदी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । इस समय हमारे सामने केवल श्री मोदी का प्रस्ताव है । इसके साथ ही श्री मधु लिमये और श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत संशोधन भी चर्चाधीन हैं ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न के लिये ग्राह्यता की शर्तें जो नियम 224 (3), में उल्लिखित हैं, पूरी होती है और क्या यह मामला ऐसा है जिसमें सभा के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ? अब प्रश्न यह है कि यह मामला 'प्रतिपक्ष' नामक एक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार से उठा है इसके दो पहलू हैं :—

(1) समूच्य समाचार में क्या लिखा था :

(2) संसद के विरुध अपमानजनक और निन्दाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना ।

इस संबंध में पहली बात लागू नहीं होती । परन्तु जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, इस प्रकाशन ने सभा को 'चोरों और भ्रष्ट व्यक्तियों का अड्डा' आदि बताया है अतः केवल दूसरा भाग ही विशेषाधिकार के मामले से संबंधित है ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है । अन्ततोगत्वा उस पर भी सभा विचार कर सकती है । यह प्रस्ताव कांग्रेस के नेता और उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिये प्रस्तुत किया गया है । इस मामले में विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी । यह जालसाजी का मामला है जो संज्ञेय अपराध है और इस संबंध में कार्यवाही की जा सकती है । इसमें कोई ग़लत बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि हमें समाचार पत्र और उसके सम्पादक के विरूद्ध क्या कार्यवाही करनी चाहिये जिसने हम सब को बुरा बताने वाला समाचार दिया है ?

श्री बी० वी० नायक : मेरे विचार में इस सभा के नेता के रूप में प्रधान मंत्री और कांग्रेस सरकार इस मामले के साथ निपटने के लिये उचित कार्यवाही कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में जब कोई सदस्यों को बदनाम करता है तो इस सभा को ही निर्णय करना है कि उस व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाये ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के मामले में बहुमत से निर्णय लेने के बजाय बिना दलगत विचार धारा को ध्यान में रखे विचार किया जाये । इस पत्रिका ने सम्पूर्ण सभा के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता । इस पत्रिका में लिखा गया है कि इस सभा में चोर, दलाल और जालसाज रहते हैं । इतना ही नहीं इस सभा को वैश्यालय बताया गया है।

श्री पी० वी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह मामला बहुत गंभीर है । हम इस मामले पर जो कुछ कह रहे हैं वह वाद विवाद के रिकार्ड तक ही सीमित नहीं रहेगा । वह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित होगा और जनता उसे पढ़ेगी । यह मामला ऐसा नहीं है जिस पर माननीय सदस्य जो मन में आये कह दे और बैठ कर हंसने लगें । यह उचित नहीं है । इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि किसी मामले पर विचार करने का हर एक का तरीका अलग अलग है । जब कोई गंभीर घटना होती है तो कुछ लोग उस पर एकांत में विचार करते हैं और कुछ लोग उस घटना के लिये समस्त विश्व को दोषी ठहराते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उपरोक्त पत्र में इस सामान्य आरोप के साथ साथ एक विशिष्ट मामला उठाया गया है । उसमें लिखा है कि इस सभा के 21 सदस्यों का उस पत्र से सम्बन्ध है । जिसमें लाइसेंस देने के लिये सिफारिश की गई है । इन सदस्यों ने इस बात से इन्कार किया है कि उनका उपरोक्त ज्ञापन के साथ कोई संबंध है । यदि हम सबको कोई पत्र झूठे कहता है तो क्या हमे उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ? फिर इस पत्रिका में एक मंत्री महोदय के विरुद्ध विशिष्ट आरोप भी लगाया गया है । उसमें लिखा है कि एक मंत्री महोदय के कहने पर इन 21 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे । श्री एल० एन० मिश्र के साथ साथ प्रधान मंत्री पर भी आरोप लगाया गया है । यह कहना ग़लत है कि प्रधान मंत्री केवल शासक दल का नेता होता है । प्रधान मंत्री का सम्मान और प्रतिष्ठा केवल दल विशेष का नहीं बल्कि समस्त देश का मामला है । शासक दल का नेता इस सभा का भी नेता होता है । यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है । संसदीय कार्य मंत्री के भाषण से पूर्व शासक दल के सदस्य भी हमारे विचारों से सहमत थे । उन्होंने हमारे प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था । श्री दिनेश सिंह ने कहा था कि इस सभा के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होने के कारण विशेषाधिकार समिति इस मामले को न्यायोचित ढंग से निपटा सकती है । इतने में संसदीय-कार्य मंत्री ने अपने विचार प्रकट किये और स्थिति बिल्कुल बदल गई । शासक दल के सभी सदस्य शर्मिन्दा दिखाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं है कि 'प्रतिपक्ष' की अपमानजनक और निन्दाजनक टिप्पणी से इस पूरी सभा की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है और इस प्रकार यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है । जिन माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे हस्ताक्षर उनके नहीं है, उनको झूठा बताया गया है । क्या यह उचित है ? विधि मंत्री ने आज प्रातः जो वक्तव्य दिया था उससे आभास मिलता था कि इन 21 सदस्यों में से कुछ पर बाद में मुकदमा चलाया जा सकता है । फिर इस सभा को वेश्यालय बताया गया है । क्या इस सभा के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वाले को कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिये पहले भी इस प्रकार के मामले हुए है और उनको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता रहा है । मेरे विचार में इस टिप्पणी से माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत रूप में और सभा की सामूहिक रूप में प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं सर्वप्रथम इस पत्र के सम्पादक श्री जार्ज फरनेंडीज़ की निन्दा करता हूं । मुझे आशा थी कि विरोधी पक्ष के सदस्य भी जार्ज श्री फरनेंडीज़ की निन्दा करेंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । उन्होंने इस सभा के सदस्यों को ठग बताया है । परन्तु श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाना चाहिये था । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य इस पत्र के मुद्रक तथा प्रकाशक, श्री जार्ज फरनेन्डीज़ को दंड देने के लिये यह प्रस्ताव नहीं लाये बल्कि वे इसके माध्यम से शासक दल को बदनाम करना चाहते हैं । प्रस्ताव में उन आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया है जो इस सदन के सदस्यों के विरुद्ध लाये गये हैं । इसलिये मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। विशेषाधिकार के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये । यदि आप इसे प्रस्ताव के रूप में समिति को भेजेंगे तो समिति इस समस्त मामले में पूरी जांच नहीं कर पायेगी ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 31 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा 31 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) विधेयक, 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 2 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है जिसके द्वारा खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया है, जिसमें 60 सदस्य होंगे—राज्य सभा से 20 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री त्रिलोकी सिंह
(2) श्री कमलनाथ झा
(3) श्री आर० डी० जगताप अवरगांवकर
(4) श्रीमती रत्नाबाई श्रीनिवास राव
(5) श्री तीर्थराम आमला
(6) श्री बी०सी० महन्ती
(7) श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी
(8) श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब
(9) श्री कृष्ण कान्त
(10) श्री खुर्शीद आलम खान
(11) श्री लाल बुआइया
(12) श्री के० बी० छेत्री
(13) श्री एम० कादरशाह
(14) श्री सनत कुमार राहा
(15) श्री भैरों सिंह शेखावत
(16) डा० के० नागप्पा आलवा
(17) श्री रवि राय
(18) श्री एस०ए० खाजा मोहिदीन
(19) श्री शाहवालिस के० शिल्का
(20) श्री पी० के० कुन्जाचन

और लोक सभा से 40 सदस्य और सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTING OF THE HOUSE

16 वां प्रतिवेदन

Shri Chandrika Prasad (Baliia) : I present the Sixteenth Report of the Committee on Absence of Members from Sittings of the House.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

बिहार में भूख से मौतें होने की घटनाएं

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move :

"That the House do now adjourn."

The Government has not taken effective measures to provide relief to the people affected by flood and drought. There has been reports of a large number of starvation deaths in different parts of the country. The situation in Bihar alarming.

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए
Shri Jagannath Rao Joshi in the Chair

Crops in about 21.90 lakh acres of land, worth about Rs. 100 crores, and about 1.5 lakh houses have been submerged in water and lakhs of people have been rendered homeless in Bihar.

Floods in our country have become an yearly feature and the measures taken to control them have been inadequate. It is estimated that we have so far been able to protect only one third of the total area that is affected by floods every year. The Finance Commission has suggested that a larger area can be protected from floods if the amount that is spent year after year on providing immediate relief to flood affected people, is utilised for implementing a long term scheme for preventing floods. But the State Government takes *ad-hoc* decisions and there is no provision for flood control at the national level.

The State Governments, including the Bihar Government, have complained that the amount of assistance given to them to meet this natural calamity is inadequate.

The Government of Bihar has stated that it used to spend Rs. 1.5 lakhs to meet the situation of floods or drought and expenditure beyond that used to be borne by the Central Government. Now, the Government of Bihar has been directed to provide Rs. 4.5 crores for these calamities, but it is insufficient.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I have to raise a point of order. The Minister for Irrigation should be here today. He would have told something about national grid. Firstly, the quantity of foodgrains supplied is not adequate and secondly what are Government's plan to control floods ?

औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : उन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव में एक विशेष मामलें, बिहार को अनाज की सप्लाई न किये जाने का उल्लेख किया है। चर्चा के समय अन्य बातों का भी उल्लेख किया जाता है। वह केवल उसी प्रश्न तक सीमित नहीं रह सकते। आप इस बात का आरोप नहीं लगा सकते की कृषि मंत्री को उक्त विपत्ति से चिन्ता नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government of Bihar had requested for the supply of 35,000 tonnes of foodgrains every month from the Centre for the next three years, but the Bihar Government is only getting 10,000 tonnes of goodgrains every month.

People have no money to purchase foodgrains. So, the Government has to arrange for the supply of goodgrains to flood affected people at cheaper rates. The Government should also make arrangements for the supply of seeds to the farmers for their next Crop. There should be proper distribution of fodder to save large number of cattle from death. Arrangements should also be made for providing medical relief to flood affected people.

North Bihar is in the grip of severe flood and it presents a scene of devastation, but the Government of Bihar is busy with its struggle for existence.

In the present circumstances, the Government of Bihar should resign. The Central Government should work with great responsibility to solve the present crisis in Bihar. It should supply more foodgrains to Bihar and see that they are properly distributed. The Government should take immediate steps to provide relief for the flood and drought affected people of Bihar. The administration in Bihar is in a stand still condition.

In case the present Government in Bihar resigns, we are prepared to request Shri Jaya Prakash Narayan to withdraw his agitation and work to help the flood affected people in the state. If the Government wants to solve the present problem of Bihar, it should take immediate and long term measures in this matter.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि सभा अब स्थगित की जाए"।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकता—दक्षिण) : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बिहार के लोगों को गभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यतया निर्धन वर्ग को ही संकट का सामना करना पड़ रहा है अनाज का पर्याप्त स्टाक न होने के कारण केन्द्रीय मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की 50 प्रतिशत अनाज की मांग को पूरा किया है। इस वर्ष अनाज की वसूली गत वर्ष की तुलना में बहुत असंतोषजनक है। क्या मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि इस वर्ष खाद्य नीति में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप और थोक व्यापार को अपने अधिकार में न लेने के कारण अनाज के वसूल अभियान में कमी आई है ? यदि यह सच है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अनाज वसूली अभियान को तेज करने के बारे में सरकार के पास क्या विकल्प है। यह सही है कि कुपोषण के कारण बच्चे, बूढ़े, सभी लोग मर रहे हैं। इस संबंध में जांच की जानी चाहिये। गांव के लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय को विभिन्न राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले अनाज के बारे में वास्तविक जानकारी देनी चाहिये। खाद्यान्नों के वितरण का कार्य शहरी क्षेत्रों से आरंभ कर सुदूर गांवों में भी किया जाये जिससे हमारे स्टाक का उचित रूप से वितरण हो सके और निर्धन लोग इसमें से कुछ मात्रा सम्‌चित दामों पर प्राप्त कर सकें।

जहां तक बाढ़ की स्थिति का संबंध है, केन्द्रीय सरकार सब राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता देने की स्थिति में नहीं है। अतः एक मात्र उपाय यही है कि केन्द्र तथा राज्यों के पास जितना स्टाक है उसे राजनीतिक दलों के सहयोग से वितरित किया जाये ।

देश में प्रतिवर्ष जब कभी बाढ़ स्थिति का सामना करना पड़ता है तो सरकार उसके लिये तदर्थ सहायता की व्यवस्था करती है । हम कभी भी व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते ।

बिहार विधान सभा भंग करने के लिये किये जा रहे आन्दोलन को वापिस लिया जाना चाहिये और नेताओं को राज्य सरकार के प्रशासन तथा अन्य सामाजिक संगठनों को सहायता देनी चाहिये ताकि बाढ़ग्रस्त लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके । मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि यदि वसूली का परिणाम ठीक नहीं निकलता तो क्या वह देश की खाद्य नीति में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे । पुलिस अधिकारी जमाखोरों की मदद कर रहे हैं। जो लोग जामाखोरी में लगे हैं, उन्हें संरक्षण मिलता है लेकिन जो लोग जमाखोरी में नहीं लगे हैं उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है ।

मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को, छिपाये गये अनाज का पता लगाने के निदेश दिये जाते हैं, लेकिन छिपे धन का पता लगाने के बारे में पुलिस का क्या कर्त्तव्य है ।

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकारी सूत्रों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार के 15 जिलों में हजारों व्यक्ति बाढ़ की चपेट में आये हैं तथा लगभग 50 व्यक्ति मारे गये हैं और 150 करोड़ रुपयों की हानि का अनुमान है । सरकार बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में असफल रही है । पिछले महीने बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा था बिहार में सत्ता के लिये संघर्ष चलता रहा है तथा किसी भी व्यक्ति को जनता की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आती है । किन्तु इसके नियंत्रण के लिये कोई उपाय नहीं किया गया। दिनांक 29 अगस्त, 1974 के टाइम्स आफ इंडिया के अनुसार हाल की बाढ़ से बिहार की जनता को अत्यंत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा बिहार में दृढ़ निश्चय वाले नेता के न होने के कारण केन्द्र को इस बारे में तुरंत कोई निर्णय करना चाहिये । मेरा सुझाव है कि बिहार की जनता की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार को अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर कोई ठोस उपाय करना चाहिये । बाढ़ से उत्पन्न विपत्ति को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। बाढ़ पीड़ितों के लिये तुरंत खाद्य सामग्री दवाइयां तथा रहने के स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे वहां महामारी न फैले ।

राज्य सभा में एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा है कि बाढ़ के कारण आसाम में लगभग 400 व्यक्ति मारे गये हैं । कूच बिहार जिले में लगभग 6,500 व्यक्ति बाढ़ की चपेट में आ गये हैं किन्तु उनके लिये कोई राहत कार्य नहीं किया गया । सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये वन लगाना, भूमि कटाव को रोकना तथा नदियों में पानी के बहाव को रोकना जैसे उपाय करने चाहिये थे । किन्तु खेद है सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप है। गंगा नदी तथा अन्य नदियों में बाढ़ आई हुई है। आसाम में भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं। उड़ीसा में भी स्थिति गम्भीर है तथा वहां पर 3.60 रुपया प्रति किलो के भाव से चावल बिक रहा है। बहुत से व्यक्ति भूख से मर गये हैं। गुजरात में भी अकाल की स्थिति है। महाराष्ट्र में खाद्यान्नों की कमी है। अतः केन्द्रीय सरकार को बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए तथा अभाव ग्रस्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए तुरंत उपाय करने चाहियें। मेरा सुझाव है कि सरकार विदेशों से खाद्यान्न आयात करे तथा उसका तुरंत वितरण कराये जिससे संकट ग्रस्त व्यक्तियों को राहत मिल सके।

अत्यंत खेद की बात है कि 27 वर्षों के बाद भी सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकी है। देश के विभिन्न भागों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरा सुझाव है कि इस समस्या को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर सुलझाना चाहिये तथा इस संबंध में सभी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, I think that there was no need for an adjournment motion to discuss the difficult situation in Bihar. The incomplete discussion on the flood and drought situation should have been resumed in the House. Anyhow, we should be thankful to Shri Vajpayee for drawing the attention of the House to the difficult situation in Bihar. But I also feel that it should not be made a political issue.

There is no doubt that certain parts of the country have been facing floods and certain other parts have been facing serious drought situation. At present floods have caused a lot of damage in Bihar. About 80 lakh people are in the grip of floods. There has been a loss of worth Rs. 100 crores. In these circumstances all of us have to rise above party politics and make a united effort to help the suffering people in Bihar.

How is it that Bihar is a poor State though it is considerably rich in minerals and other natural resources ? No doubt, corruption is rampent their but it can not be said that it is the only factor responsible for poverty in Bihar. The Opposition had also an apportunity to form their Government in Bihar. They have also worsened the situation their. (*Interruptions*)

I would like to furnish some figures to show the backwardness of the State of Bihar According to the figures for 1968-69 there was one bed against 4,2,00 persons in Bihar while there was one bed against 2,700 persons in the country as a whole. The percentage of literacy in this Country, according to the statistics for 1971, was 30 while it was 20 in Bihar. In the year 1972, 23 per cent villages were electrified in the country but in Bihar only 13 per cent villages were electrified. Similarly, the figures regarding the communication and banking facilities are much lower for Bihar than those for the rest of the country. The *per capita* income of Bihar is Rs. 402 while it is Rs. 995 in Punjab.

As has been mentioned earlier, the Bihar Government have asked for 35,000 tonnes of foodgrains to overcome the difficult situation there. But the Central Government supplied only 10,000 tonnes of foodgrains to Bihar in the month of August. I request

that the Central Government should supply more foodgrains to Bihar to save the people of Bihar from starvation. The State Government have also sought financial assistance of Rs. 20 crores. At present Bihar is facing political crisis as well as natural calamities. In these circumstances the Centre should give liberal financial assistance to Bihar. Essential Commodities required by the State Government should also be supplied immediately by the Centre.

I would also like to suggest that necessary relief should be rushed to the people living in the drought affected areas like Chhota Nagpur and my constituency. The Central Government should give clearance to all the projects sent by the State Government for their approval.

A team of Central Officers was sent to Bihar to assess the situation there. I think the Minister of Irrigation and Power should himself pay a visit to see the devastating situation caused by the flood in Bihar. If the hon. Minister goes there, the officers will certainly implement relief measures vigorously. Shri Vajpayee and certain other hon. Members have stated that Bihar Government are engaged in power politics....*(Interruptions)* I would like to urge upon Shri Vajpayee that he should ask the workers of his party to do something for the relief of the affected people.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I rise to support the adjournment motion. I still feel that the discussion which could not be completed on 24th August regarding the drought and flood situation in the entire country should be resumed. Now we are discussing the serious situation which has developed in Bihar due to the floods. North Bihar and three districts of South Bihar *i.e.* Patna, Bhagalpur and Bhojpur are in the grip of floods. In my area two Assembly constituencies of Danapur and Maner are affected by floods. About 50 per cent of Maize crop in this area has been completely damaged. The people of this area are facing starvation. But Government have paid no attention to this matter so far.

In the State of Bihar, 19 districts are affected by floods and 6 districts by drought. About One crore and 25 lakh people are facing serious difficulty on account of floods and drought. People are dying of starvation. Cattle are also dying in large numbers.

Keeping in view the intensity of floods in Bihar this year the Central Government should have given financial assistance to the State Government of not less than Rs. 50 crores. The State Government have asked for Rs. 20 crores which will not be sufficient to meet the grave situation developed there. The State Government have also demanded 35,000 tonnes of foodgrains. On the 29th July, I made a demand in the House that one lakh tonnes of foodgrains should be supplied to Bihar. In his reply to this demand Shri Shinde stated that the actual inflow of foodgrains to Bihar was very close to 1 lakh tonnes. It was about 75—80,000 tonnes. If that much quantity of foodgrains is being supplied to Bihar, why then people are starving there. It is quite obvious that either the statement of the hon. Minister is false or the foodgrains so supplied are being sold in the black market. In Bihar the agricultural land is fertile. There are so many industries. It is also rich in natural resources. Even then if the people of Bihar are facing starvation, it is because of the fact that the policies of Government are defective and that Government are not serious to control the floods and droughts.

After flood there will be epidemic. Therefore, necessary arrangements for medicine and doctors should be made. The students are also facing difficulties there. I suggest that fees of the students should be remitted and financial assistance should be provided to them so that they can carry on their studies. Collection of land revenue and other dues should be stopped. *Taccavi* loans should be given to the people. An all party committee on flood control should be set up.

The problem of land erosion is also prevailing in the State of Bihar. The Government should take steps to check the land erosion. I also request that provision of shelter for the people who are rendered homeless should be made. Fodder for the Cattle, seeds, fertilizers and necessary credit should be given to the farmers. I also feel that it is the duty of all of us to help the people who are facing difficulty.

Besides Bihar, other States like Uttar Pradesh, West Bengal and Assam have also been affected by floods and drought. Government should also make attempts to solve the problem of these States. I also feel that this problem should not be made a matter of party politics.

Shri Hari Kishore Singh (Pupri) : Sir, I represent a constituency which is visited by floods almost every year. In fact a major portion of north Bihar is subjected to the floods almost every year. The recent floods are the worst since the year 1954. As a result of recent floods, there is complete ruin and devastation. The loss of life and property is so great that it is beyond the resources of the State Government to provide relief to the victims. In these circumstances the Central Government should take the responsibility of saving the people of Bihar from starvation. The Central Government should supply one lakh tonnes of foodgrains to Bihar during the next two months. Financial assistance of Rs. 50 crores, as suggested by Shri Shastriji should also be given to the State Government.

I would also like to appeal the voluntary organisations engaged in social service that they should provide relief to flood affected persons in Bihar. Secondly, there is an immediate danger of epidemics, like Cholera and Small-Pox spreading in these areas. The Government should take necessary precautions to prevent the spread of epidemics.

Since vast areas have been flooded, there has been immense loss of standing crop and cattle. Due to the non-availability of fodder, large number of cattle heads are dying. The Government should take all necessary steps in this regard.

I would like to suggest that the farmers should he provided with seeds of maize and wheat for the next season. They should also be given Taccavi loans and financial assistance in the other forms.

I also suggest that Government should pay more attention to the small and medium irrigation schemes and then to big schemes. The Government should fix a target of constructing 2,000 tube wells in 1974-75 to bring in agricultural revolution in Bihar. The Kosi Project involving 22 crores of rupees could not be completed for the last 6-7 years. I demand that this project should be completed as soon as possible.

*श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : महोदय ! मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। क्योंकि बिहार में उत्पन्न स्थिति से स्पष्ट विदित होता है कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार बिहार की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रही ।

बाढ़ तथा सूखा की स्थिति लगभग प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है। अंग्रेजी शासन काल में सर आर्थर काटन ने बाढ़ नियंत्रण के लिये गंगा को कावेरी से जोड़ने की योजना बनाई थी। इस योजना पर बाय में डा० के० एल० राव ने भी विचार किया तथा इस योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का एक दल भी भारत बुलाया। उक्त दल ने इस योजना को व्यवहार्य बताया था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

बिहार के 29 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है तथा 6 जिलों में सूखा पड़ रहा है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति को टालने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिये आवश्यक राहत कार्य भी नहीं किया है।

क्या कोई अमीर आदमी बाढ़ से प्रभावित है ? बिहार में बाढ़ पीड़ितों को क्या सहायता दी जा रही है ? जब एक यात्री विमान दुर्घटना में मरता है तो उसके परिवार को एक लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, जब रेल-यात्री रेल दुर्घटना में मरता है तो उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। बाढ़ पीड़ितों को 30 रुपये अथवा अधिक से अधिक 100 रुपये सहायता के रूप में दिये जाते हैं। क्या संकट ग्रस्त परिवार के लिये यह राशि पर्याप्त है ? सहायता की इतनी कम राशि देने का परिणाम तो भूख से मृत्यु होना ही होगा। वर्ष 1974-75 से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सूखा राहत सहायता देना बन्द कर दिया। स्वाभाविक है कि भुखमरी बढ़ेगी।

देश में भुखमरी की स्थिति के लिये सत्ताधारी दल जिम्मेदार है। यह स्थिति बाढ़ नियंत्रण के लिये ठोस योजनायें और सृजनात्मक कार्यक्रम तैयार न करने के कारण आयी है। सरकार उन कार्यक्रमों को कारगर ढंग और समुचित रूप से लागू नहीं कर रही है। सम्पूर्ण सत्ताधारी दल सत्ता के संघर्ष में लीन है और बिहार के लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। बिहार के लोगों के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करने के बजाय यदि सत्ताधारी कांग्रेस दल लोगों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिये राहत कार्यक्रमों को लागू करने में रुचि ले तो वह भुखमरी को रोकने में राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा करेगा।

हमारे देश में भुखमरी रोकने के लिये सरकार को हर संभव उपाय करने चाहियें। सरकार को बार-बार आने वाली बाढ़ों को नियंत्रण में करने हेतु समय बद्ध योजना तैयार करनी चाहियें। सरकार

*तमिल में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

को राष्ट्रीय जल-नीति बनानी चाहिये और वही हमारे देश में बाढ़ों के प्रकोप को कम करने तो सहायक हो सकती है।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : No doubt the position in Bihar is grave. We should not exaggerate it because the proceedings of Parliament are not Confined to India only, these are published by foreign Press also.

[Shri D.C. Goswami in the Chair]

(श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुये)

Floods and droughts are a normal feature and India is a vast country, it is therefore natural, that some parts of the country suffer from floods and in some parts there is drought. Such calamities are not the creation of the ruling party. Will it be possible for Government to control all the rivers in a span of 25 years.

If the performance of the Gaffoor Ministry is not satisfactory, a no confidence motion should be brought against them. They will vacate in no time.

Government should give grants to the flood affected people instead of loans.

Shri Ranbahadur Singh (Sidhi) : Sir, the State of Bihar is heading towards disaster and we are deeply concerned over it since we are the citizen of India. Bihar is facing many other problems along with the problems of floods and drought. We have to solve them.

In Bihar, the administrative machinery is just on the verge of collapse. The difficulties of the people cannot be removed by merely giving a few crores of rupees and some assistance in the form of seeds. There are political upheavals there.

Bihar is facing shortage of fertilizers. It will be of no use to plant paddy seedlings there. Gram seeds should be sent to Bihar because it is possible to have a gram crop withing 3-4 months and the poor people will get some foodgrains.

In Bihar, Deputy Collectors are busy in handling law and order situation. They are not attending to any other work. The political problems of the state should first be sorted out, only then it will be possible to attend to other problems. The Prime Minister should invite Shri Jaya Prakash Narayan for talks in Delhi and try to find a solution to the problems of Bihar.

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : भारत में मानसून आने से पूर्व सूखे की स्थिति और मानसून के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्यतः मौसम की यही स्थिति रहती है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष देश में सूखा और बाढ़ की स्थिति समानान्तर रूप से चल रही है। दोनों मामलों में सामान्य बात यह है कि या तो अत्यधिक पानी अथवा पानी की कमी के कारण लोगों की कठिनाइयां बढ़ रही हैं।

फाइनेंसियल एक्सप्रेस के अनुसार बाढ़ से प्रतिवर्ष 730 लोगों और 43000 पशुओं की जानें जाती हैं और प्रतिवर्ष 10 लाख टन अनाज बरबाद होता है। बाढ़ों के कारण प्रतिवर्ष वास्तविक क्षति 450 करोड़ रुपये की होती है। सबसे अधिक क्षति पश्चिम बंगाल में होती है इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और आन्ध्र प्रदेश का नम्बर आता है।

1954 में जिस समय से राष्ट्रीय खाद्य नीति अपनायी गयी और समग्र देश के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक केन्द्रीय बाढ नियंत्रण बोर्ड तैयार किया गया था तब से किये गये कार्यों की स्थिति क्या है ? मार्च 1974 के अन्त तक 10,000 किलोमीटर से अधिक के तटबन्ध और 11,134 किलोमीटर के जलनिकास मार्गों का निर्माण किया गया, 46000 गांवों की भूमि का तल ऊंचा किया गया और लगभग 200 नगरों को बाढ़ संरक्षित योजना के अन्तर्गत लाया गया। चार नदी आयोग बनाये गये। हम केवल 50 प्रतिशत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को बाढ़ से संरक्षण प्रदान कर सके हैं और लक्ष्य प्राप्त करने में कम से कम 25 वर्ष और लग जाएंगे। चौथी योजना के अन्त तक हमने बाढ़ से संरक्षण प्रदान करने के लिये लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। बाढ़ से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट के मुकाबले में यह धनराशि बहुत कम है।

समूचा उत्तर बंगाल भीषण बाढ़ों की चपेट में आया हुआ है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और मालदा (पश्चिम दीनाजपुर) की स्थीति विशेष रूप से सबसे खराब है। कूच बिहार में 48,000 एकड़ भूमि जिसमें हजार एकड़ फसल लगाने वाली भूमि भी शामिल है, जलमग्न है और इससे प्रभावित लोगों की संख्या लगभग दो लाख है।

दैनिक 'युगान्तर' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार राहत कार्य के लिये निर्धारित सरकारी धन-राशि खर्च की जा चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने राहत कार्य और सूखाप्रभावित क्षेत्रों के लिये दी गई सहायता वापस ले ली है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे सूखा और बाढ़ जैसे प्राकृतिक संकटों का सामना करने के लिये एक विशेष कोष बनायें और इस धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक में रखें। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया समूची स्थिति स्पष्ट करें और इस आवश्यकता के समय राज्य सरकारों की मदद करे ताकि धन की कमी के कारण लोगों को कठिनाई न हो।

पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र समुद्री तूफानों से आयी बाढ़ों से प्रभावित हैं। तटीय तूफानों की समस्या से निपटने के लिये कुछ उपायों का सुझाव देने हेतु एक उच्च विशेषज्ञ को भारत में आमंत्रित किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेषकर प्रतिवेदन तैयार है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है। मैं यह भी मांग करता हूं कि तूफान संकट को दूर करने के लिये एक समिति बनाई जाये।

एकमात्र इस बाढ़ से रक्षा करने हेतु सिंचाई की दरों में वृद्धि करके एक विशेष कोष बनाया जाना चाहिये। जलाशयों और बांधों के निर्माण के लिये ऋण हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। एक नदीवार मास्टर प्लान बनाई जानी चाहिये और इसे राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये। एक राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना बनाई जानी चाहिये। ब्रह्मपुत्र के लिये एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिये।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र से सितम्बर और अक्तूबर के लिये प्रति माह 50,000 टन चावल सप्लाई करने हेतु अनुरोध किया है । पश्चिम बंगाल में संकटपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुये केन्द्र को यह मांग स्वीकार करके खाद्यान्न सप्लाई करना चाहिये ।

श्री तरुण गोगोई (गोरहाट) : इस वर्ष आसाम में भीषण बाढ़ आयी हैं । बिहार, आसाम और अन्य राज्यों को दी गई सहायता अपर्याप्त है । छठे वित्त आयोग की सिफारिश इस मार्ग में बाधक नहीं बनने दी जानी चाहिये । जो लाखों लोग बाढ़ों या सूखा अथवा कटाव से प्राभावित हुये हैं उनके जीवन की रक्षा करने के लिये हमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 210 गांवों में से लगभग 174 गांव प्रभावित हुये हैं और लगभग 8000 गांव बुरी तरह प्रभावित हुये हैं । यदि केन्द्र कुछ बाढ़-नियंत्रण कार्य शीघ्र शुरू नहीं करेगा तो भविष्य में ब्रह्मपुत्र से समूचे मजोली क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो जायेगा ।

यद्यपि ब्रह्मपुत्र में बाढ़-नियंत्रण के लिये वर्ष 1954 से कदम उठाये गये थे इस सम्बन्ध में कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र को इस समस्या की ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये । और राज्य को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिये ।

राहत के लिये एक राष्ट्रीय समिति बनाई जानी चाहिये, जिससे देश के संसाधन जुटाये जाएं तथा राज्यों को सहायता दी जा सके । राज्य को खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जानी चाहिये ताकि लाखों लोगों को संकट से बचाया जा सके ।

सभापति महोदय : जैसा कि आपको पता है यह चर्चा 6.30 मिनट पर समाप्त होनी चाहिये मंत्री महोदय 20 मिनट का समय लेंगे । श्री बाजपेयी जी भी कुछ समय लेंगे । श्री लिमये के अतिरिक्त जो सूची मेरे पास है जिसमें 9 सदस्य कांग्रेस के तथा 4 विपक्ष के हैं । कृपया संसदीय कार्य मंत्री बतायें कि स्थिति से किस प्रकार निपटा जाये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : समय का ध्यान रखते हुये सभी को अवसर दिया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Government should reconsider its present policy relating to the provisions of relief to the flood and drought affected people. The present policy will not be able to tackle the problems of floods and drought.

The sixth Finance Commission have said that the State Government should keep their scheme ready to tackle this problem on parmanent basis and should implement those schemes when there are floods and drought on a large scale and the money can be spent in advance for that purpose only out of the expenditure to be incurred next year. There are a number of difficulties in this. For instance there are certain projects Kosi Project and Gandak project which are connected with certain areas. If there are floods in other areas how can these projects be helpful ? Neither the Finance Commission nor Government have given a serious thought to this matter. The Minister should announce today that keeping in view the magnitude of the problem of drought and floods this policy will be reconsidered.

On 18th March, there was a firing incident in Bihar and the matter was discussed here in this House. During the discussion the then Agriculture Minister has stated that 75 per cent demand of foodgrains made by Karala and 34 per cent made by West Bangal are met. As regards the demands made by Bihar, he had said that only 23-24 per cent demands have been met. The Minister should clarify as to how he proposes to supply foodgrains to Bihar keeping in view of the present needs of the State. May I know whether arrangements will be made for distribution of foodgrains on a large scale amongst the floods and drought affected people or will the foodgrains be distributed through famine relief agency ? The Minister should also tell us whether Government will follow the principles which are laid down by Government about declaring a particular area as a scarcity area or a famine area.

It cannot be denied that news are pouring in regarding starvation deaths in Eastern U.P., Orissa, Bihar and West Bangal. Whenever we have raised the matter, Government have said that deaths occured due to heart-attack or some other disease. When the people do not get foodgrains, they will die of heart-attack. The people are in great difficulty. Therefore, government should make arrangements of medical relief and foodgrains for those who are on the verge of starvation.

Bihar is in the grip of both floods and drought. There has been published three articles in 'Times of India' regarding the Bihar administration.

There were articles in 'Times of India' that in Bihar, in 31 districts, no other department except Polic Department is functioning. In these circumstances, one could guess the fate of crores of people affected by floods and lakhs of people affected by drought. I, therefore, hope that we should reconsider our policy with regard to relief keeping in view the recommendations of the Finance Commission.

Shri N. P. Yadav ((Sitamarhi): Bihar is in the grip of terrible floods. Such floods are not seen in the last 24 years. About 1 crore people of North Bihar have been affected by these floods.

In Sitamarhi, Rabi crop was damaged on 29th March, 1974 due to hard-storm. Shri Shinde has promised to visit that area and to meet the food requirements of that district. But it is regrettable that he has not paid the visit to that area as yet. Also no foodgrain was supplied to Sitamarhi during June and July. In the month of August only one thousand quintals of foodgrains were supplied. Government should pay attention to this District. The hon. Minister should personnally visit the area.

About 14 lakh people of Sitamarhi District were affected by floods. Thirteen blocks out of total of fifteen blocks have been affected. There is acute scarcity of foodgrains, medicines and other essential commodities. People are experiencing lot of hardships on account of acute shortage of these things. Apart from crops a large number of houses have also been damaged by floods. The whole economy of the district has been shattered. People of the area have a feeling that in regard to supply of foodgrains they are being neglected.

Keeping in view the seriousness of the situation the District Administration have requested for supply of 18,000 tonnes of foodgrains from Government. This required quantity should be supplied immediately.

Government should allocate an amount of Rs. 100 crores to provide relief to the people of Sita marhi, Darbhanga, Samastipur and Purnea districts. About one lakh tonnes of foodgrains should be supplied so that these could be made available to flood and drought affected districts of North and South Bihar, otherwise thousands of people will die of starvation.

Shri Jagannath Misra (Madhubani) : Flood situation in Bihar, particularly North Bihar, is very grave. The floods have been unprecedented this year. 22 districts out of a total of 31 districts of North Bihar have been affected by floods. All the rivers of North Bihar are flooded. Floods have affected crops worth Rs. 150 crores. About 46 persons are reported to have died.

The Revenue Minister of Bihar had said in the All-party Bihar Relief Committee that the Central Government had agreed to give 35,000 tonnes of foodgrains to Bihar every month during August. September and October in addition to the normal quota. The Hon. Minister should tell us that whether the said statement is correct or not (*Interruption*).

The condition of the people in the districts of Drabhanga, Madhubani and Samastipur is very pitiable. 27 lakh people have been affected by floods. Government has not provided adequate relief to them.

Irrigation Ministry and Agricultural Ministry had sent a special team separately to study the situation in Bihar. The hon. Minister should hold discussion with members of both the teams to obtain first-hand information. Government should make clean the assisttance that could be provided to the people. The Government should give financial help for providing relief to people. Fertilizers, seeds and foodgrains should also be provided.

Compensation should be given to the families of the 46 persons who have died on account of floods. Land revenue and fees to be paid by the students of affected families s hould also be remitted in flood affected areas .

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने बिहार में हाल की बाढ़ से हुई हानि का कोई मूल्यांकन किया है ? यदि हां तो कितनी हानि हुई है ? शायद इस बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है । पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षति का निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाते थे परन्तु शायद अब इस पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया है । हाल ही में दो दल बिहार भेजे गये थे परन्तु शायद वह दल विभागीय दृष्टिकोण से गए थे । उनकी यात्रा के बाद फिर बाढ़ आई है । इस कारण उनकी यात्राओं का निष्कर्ष निराधार हो गया है । राज्य सरकार ने भी इस बारे में मूल्यांकन किया है परन्तु मैं राज्य सरकार के मूल्यांकन से सहमत नहीं हूं । इस बार की बाढ़ अभूतपूर्व है । राज्य सरकार के अनुसार लगभग 70 लाख व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए हैं परन्तु

मेरे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या 1 करोड़ से कम नहीं है । राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों की क्षति का मूल्यांकन किया है परन्तु उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ इलाकों को छोड़ दिया गया है । (व्यवधान)

राज्य के बजट में बाढ़ एवं सूखा आदि के लिए 4.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । केन्द्रीय सरकार ने वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय किया है कि यदि राज्य सरकार को उपबन्धित राशि से अधिक राशि देनी पड़ी तो वह विकास राशि में से काट ली जायेगी । यह उचित नहीं है । इसी प्रकार अगस्त से अक्तूबर मास तक राज्य को प्रतिमास 35,000 टन खाद्यान्न की आवश्यकता है परन्तु केन्द्र ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए केवल 10,000 टन खाद्यान्न का नियतन किया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ।

बाढ़ से तटबंधों की अत्याधिक क्षति हुई है जो कि चिन्ता का कारण है । अतः केन्द्रीय सरकार को इन्हें सुदृढ़ करने के कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता देनी चाहिये । यदि इस कार्य के लिए तत्काल सहायता दी जाये तो उससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे ।

पिछले सात वर्षों में केन्द्र ने बिहार को 20 करोड़ रुपये के अनुदान दिये हैं और 66 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी है । परन्तु दूसरे क्षेत्रों में इससे अधिक अनुदान दिये गये हैं । बिहार के साथ यह सौतेला व्यवहार समझ में न आने वाली बात है ।

बिहार इस समय विशेष संकट से गुजर रहा है । इस समय राज्य सरकार बिलकुल भी क्रियाशील नहीं है । मंत्रीगण पटना के अपने बंगले छोड़कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों में उनके विरुद्ध रोष व्याप्त है ।

राज्य ने इस समय 56 करोड़ रुपये की धनराशि का 'ओवर ड्राफ्ट' कर रखा है । यह वीत्तीय क्षेत्र में आपत स्थिति है । संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन राज्य के शासन की बागडौर केन्द्र को संभालनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोगों को और कष्टों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार राहत देने में असमर्थ है ।

(श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए ।)
Shri Vasant Sathe in the chair.

A. P. Sharma (Buxar) : If the purpose behind the adjournment motions to draw the attention of Government towards the flood and drought situation in Bihar it is an other thing, but if it has been brought as a no confidence measure the sponsore have to remember that flood and drought are natural calamities and not the creation of the Government.

The project of constructing a permanent Dam on River Ganga should be completed early. It would provide relief to the people of Gangetic Valley.

The Government of Bihar has demanded 35,000 tonnes of foodgrains in addition to the normal quota. It has also requested for an allocation of Rs. 20 crores and also seeds. These demands should be met.

The Bhojpur District is much affected by floods and dought. If Government executes the projects which are in hand and provides adequate irrigation facilities, this area could meet the entire demand of Bihar with regard to foodgrains. Government should, therefore, help the people of the area.

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : पश्चिम बंगाल राज्य में बिहार जैसी स्थिति है । 'स्टेटसमैन' में समाचार प्रकाशित हुआ था कि भुखमरी से पांच व्यक्ति मर गये हैं । इससे पता चलता है कि राज्य की खाद्य स्थिति बहुत खराब है । हजारों व्यक्ति गांव में अपने घरबार छोड़कर शहरों में फुटपाथों पर रहने लगे हैं । आज जिस खाद्य नीति का अनुसरण किया जा रहा है उसके द्वारा इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता ।

पश्चिम बंगाल राज्य को 60 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता है । हमने 60 लाख टन का उत्पादन भी किया है । केन्द्रीय मूल से 15 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ है । उसमें से यदि 10 प्रतिशत बीज आदि के लिए छोड़ दिया जाए तो शेष 69 लाख टन बच जाता है । परन्तु राज्य में आज खाद्यान्न की कमी हो गई है । यह बात समझ में नहीं आती । प्रत्येक वर्ष हमें खाद्या मंत्री के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं ।

सभापति महोदय : हम बिहार की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं । बंगाल की स्थिति के बारे में किसी अन्य अवसर पर बोलें ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, कि इस बारे में कुछ किया जाये । राज्य को खाद्यान्न की अधिक मात्रा की सप्लाई की जाये ।

Shri Shiv Shankar Prashad Yadav (Yadgir) : 10 lakh people of Khagaria are affected by floods. Their condition is pitiable. In the circumstance Government should immediately do something to provide them foodgrains, medicines etc. Arrangements should also be made to supply fodder for the cattle.

It is regrettable that we discuss floods only after their occurance. Dr. K. L. Rao had suggested in the year 1969 that North Monghyr could get relief from floods if Ganga waters are flown through Chandi. But that suggestion was not agreed to, that suggestion should be reconsidered by Government.

In the end I request that boats, madicines and foodgrains should be supplied to the area as relief measures.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Floods cause heavy losses in our country whenever they occur, they destroy crops and damage houses etc.. When flood waters recede, a number of diseases spread, communications are disrupted therefore, the Government should make more and more foodgrains available to Bihar. The Government should provide 35,000 quintals of foodgrains to Bihar every month so that problem of starvation can be solved.

Proper medical arrangements should also be made. People are facing housing problem. Adequate financial assistance should be provided for constructing houses. At the same time, seeds and fertilizers should be supplied.

The people in Saharsa district are in great distress due to floods in the Kosi. The Government should take some steps for the permanent solution of this problem. A commission should be appointed to assess the expenditure likely to be incurred on construction of dams.

I suggest that if the Kothar dam is constructed, the floods can be checked. Also arrangement should be made for regular dredging of the river. Steps should be taken for permanent rehabilitation of the people.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : Due to floods the condition of the people in North Bihar is really pitiable 14 districts in North Bihar are affected by floods. The relief work that is going on is not at all satisfactory. Adequate medical facilities are not available there. If proper relief is not provided millions of people will face troubles. Foodgrains should be supplied immediately to the people affected by floods.

I have received telegram which is about critical situation. If the Government does not pay any attention, the situation will became grim.

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya) : I support the adjournment motion moved by Shri Vajpayee. Floods are in full fury in North and South Bihar, Patna and Bhagulpur. Crores of people are on the brink of starvation and are taking shelter on trees. Every year Bihar suffers great loss due to floods. The Government should take permanent steps to save Bihar from the rewages of floods. Shri Vajpayee's statement is correct that people have died of starvation. Severe drought is there in six districts of South Bihar. The Government should formulate urgent and long-term schemes to provide assistance to people in these areas. Arrangements for foodgrains and medical relief under urgent schemes should be made. Steps should be taken to take the Ganga water to the rivers which become dry. In such a situation, the Government should take concrete steps.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : Bihar is affected by drought and floods every year. The condition in Chhota Nagpur, Palamau, Ranchi, Singh bhoom, Santhal Pargaua, Navada and Gaya is not unknown from anybody. In these areas the irrigation facilities could have been provided only in 2 per cent of land.

Arrangements for drinking water have been made through the Damoder Valley Corporation only. Step-motherly treatment is being meted out to Bihar. Bihar has demanded 35 thousand tonnes of foodgrains but only 10,000 tonnes of foodgrains is being supplied. If the Government does not provide adequate quantity of foodgrains, people will die of starvation. The Government should conduct a complete survey of the areas affected by floods and drought respectively. The Government should pay serious attention to this problem and meet the demand of the Bihar Government.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The districts of Eastern Uttar Pradesh are contiguous to Bihar and they are facing a situation similar to that of Bihar and floods and drought have caused great devastation there. Two Tehsils in Ballia have suffered severely due to floods and drought. The Governor of U.P. visited this area where villages were being eroded. If this area is protected from soil erosion and drought, this area can produce foodgrain for whole U.P.

There is a small-farmers project in our Tehsil. This project should be implemented in all the 18 blocks so that the problem can be solved.

Poor people are facing starvation. If the Government does not have a crash programme for feeding the people at least for 6 months, people will die of starvation.

Our district is on Bihar border. The U.P. Government does not provide foodgrains to this district for it apprehends that the foodgrains supplied by it will be taken to Bihar. I would like to say that the Central Government should either create a separate zone for our district or it should constitute a Bhojpuri State and the centre should supervise its functions.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Chairman, Sir, according to which practice you call the hon. Members to deliver speech ?

Mr. Chairman : There are two practices, *viz.*, the list of the names of the parties and the other is of eye-catching.

Shri Bhogendra Jha

Shri Bhogendra Jha (Jai nagar): This year Bihar has witnessed a unprecedented devastating floods.

In order to control the floods, the only way out is to construct a multipurpose dam on the Kosi, the Kamaler, the Baghmati and the Ghaghara so that irrigation facilities can be there and electricity is generated. If this multipurpose dam is constructed, the power crisis will be averted for the coming ten years. Also it will boost agricultural production.

If paddy seedlings are supplied immediately to the flood affected areas, there will be very good paddy crop. Whatever paddy seedlings are available from Haryana, Western U.P. and Patna Division of Bihar, they should be sent to this area immediately.

The Commissioner of Darbhanga did a commendable job in the flood affected areas but he was removed from there by a special order.... (*Interruptions*).... The commissioner should again be posted at Darbhanga.

Under the present conditions in Bihar, at least one lakh tonnes of foodgrains should be supplied to Bihar every month. 50 thousand tonnes of foodgrains should be sent there immediately. The Government should take up relief work there through relief committee.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Fist of all, I would like to urge the mover of the adjournment motion to suspend the agitation in Bihar. I would also like to urge the government to release all the teachers and students who have not been charged with violence. Gandhi ji had also suspended his movement during British regime and the British Government had released all the prisioners at that time. I would also request the Central Government to depute a Minister to have an on the spot study of the situation there. Immediate steps should be taken to implement the report of the central team and supply requisite amount of foodgrains there. Arrangements should be made for proper distribution of food and cloth through fair price shops. Medical facilities should be provided and interest free loans should also be made available. The farmers should be exempted from payment of land revenue. The tubewells should be set up, where irrigation facilities are not available. Diesel oil should also be made available to the farmers so that they could operate the tubewells.

Finance Minister is sitting here. He should have an on-the-spot study of the problems of Bihar. If possible, the Prime Minister or the Agriculture Minister should soon visit Bihar personally. If the Central Government does not pay adequate attention to Bihar, the situation in Bihar might go out of Contral and even if the current agitation might die out, a new movement might be launched. The Government should pay special attention to Bihar.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : I am sorry to say that central Teams are sent to Bihar, but not the foodgrains and money. The financial condition of Bihar is very grave and it would be injustice to the State, if adequate help is not provided to Bihar. (*Interruptions*)

Twenty one districts of Bihar are flood-affected and some of the areas are facing serious drought. At least four or five thousand tube-wells should be constructed in the drought-affected areas Multi-purpose projects should be taken up for the rivers of North Bihar, so that the problems of flood and drought could be solved permanently. The Central Government is responsible for the backwardness of Bihar, as it has not approved major projects for Bihar.

In the end, I would request Shri Vajpayee to withdraw his adjournment motion and to engage himself in relief measures.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मतदान के समय अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले सत्तारुढ़ पार्टी के सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे । यदि नियम 377 के अधीन चर्चा, आधे घन्टे की चर्चा और अल्प सूचना प्रश्नों को लिया जाता रहता, तो हम अनेक अविलम्बीनीय महत्व के प्रश्नों पर चर्चा कर सकते थे और इस स्थगन प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ।

आजकल बिहार में बाढ़, सूखे और अभाव की जो स्थिति है, वैसी ही स्थिति उड़ीसा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल आदि राज्यों में है, परन्तु इन सब पर में अभी चर्चा नहीं करना चाहता । बिहार में बाढ़ के कारण लाखों व्यक्ति बेघरबार होकर भूखे मरने की

स्थिति में आ गये हैं । बिहार सरकार को अथवा केन्द्रीय सरकार को सभी प्रकार के राजनैतिक दांव पेचों को भुलाकर इन निराश्रित लोगों की मदद करनी चाहिए थी । सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इस स्थिति के लिए श्री जयप्रकाश नारायण को जिम्मेदार ठहराते हैं । अगर श्री जयप्रकाश के आन्दोलन को क्षण भर के लिए भुला भी दें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अपने सभी आन्तरिक मतभेदों को भुला दिया है । राज्य के कांग्रेसी विधायक आपसी खींचतान में लगे हैं, उन्हें जनता की हालत में सुधार करने में कोई रुचि नहीं है ।

लोगों की तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्तरिम व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन जब बाढ़ और सूखे की समस्या देश के किसी न किसी भाग में हर साल उत्पन्न हो जाती है, तो उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जाता ?

नैतिक, संवैधानिक, कानूनी और मानवीय दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के लिए छठे वित्त आयोग की सिफारिशों की आड़ लेना उचित नहीं है । अगर सूखा, बाढ़ और अभाव-ग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं देगी तो राज्य सरकारों को कौन सहायता देगा? केन्द्रीय सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों को सहायता देनी ही चाहिए, भले ही ओवर ड्राफ्ट के माध्यम से सहायता देनी पड़े ।

अगर बाढ़ नियन्त्रण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जानी है, तो अस्थायी व्यवस्था के बजाय स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए । वित्तीय सहायता सभी राज्यों को उपलब्ध की जानी चाहिए चाहे वह बिहार हो या उड़ीसा अथवा गुजरात ।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I rise to oppose the adjournment motion moved by Shri Vajpayee. Bihar is facing the gravest crisis of the century and he has brought forward such a motion here.

Shri Shinde had assured to supply 80,000 tonnes of foodgrains to Bihar on 30th of July, 1974.

Shri Pant, Shri Sidheswar Prasad, Shri L.N. Mishra and Shri Bali Ram Bhagat had visited the State, but they have shown a callous attitude towards the problems of the State. Bihar which was at fourth place among all the States, has now dropped to the low level of 19th place at present.

The situation in Bihar has not improved. Railway lines have been washed away. Ganga flood Central Board was set up in 1971, a similar Commission should be appointed to control the floods in the rivers in North Bihar. In the end, I would urge the mover of the motion to withdraw his motion, otherwise he knows what would be its fate.

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगकी और कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भीषण बाढ़ के कारण उत्तरी बिहार की जनता को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक बाढ़ में कमी नहीं हुई है ।

मैं इस विषय पर दो भागों में चर्चा करना चाहूंगा (1) बाढ़ और बाढ़ राहत की दृष्टि से और (2) बिहार के विशिष्ट सन्दर्भ में खाद्य स्थिति । बाढ़ बिहार में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य भागों में हर साल आती है । यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हम बाढ़ की समस्या का अभी तक स्थायी समाधान करने में सफल नहीं हो सके हैं । अभी तक तदर्थ आधार पर ही समस्या का समाधान किया जाता रहा है । विभिन्न स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जा रहा है । जल प्रवाह की तीव्रता के कारण किसी एक स्थान पर बांध टूटने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में पानी फैल जाता है । और इससे इतना अधिक नुकसान होता है कि सम्भवतः बांध के न होने से नहीं होता । पानी भी उन क्षेत्रों में अधिक समय तक भरा रहता है । यह एक गम्भीर मामला है और विशेषज्ञ स्तर पर इस मामले पर विचार करना होगा और बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी दृष्टिकोण के बारे में निर्णय करना होगा ।

बिहार सरकार ने "बिहार में बाढ़ और राहत उपायों की समीक्षा, 1974" नाम से एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है इसमें बाढ़ से प्रभावित परिवारों की संख्या और नुकसान का ब्यौरा है । भारत सरकार द्वारा गठित की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सदस्य श्री गोयल की अध्यक्षता में सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने 14 अगस्त से 17 अगस्त तक राज्य का दौरा करके स्थिति की समीक्षा की थी । हाल ही में कृषि मंत्रालय के डा० कलकट की अध्यक्षता में एक टीम वहां यह देखने के लिए भेजी गई थी कि वहां किस प्रकार के राहत-कार्य किये जा सकते हैं । हम बाढ़ से घिरे हुए लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं । इसके लिए नावें और हैलीकोप्टर किराये पर लिए जा रहे हैं, ताकि लोगों को खाद्यान्न और भोजन पहुंचाया जा सके । सम्भव है कि बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण हजारों लोगों तक ठीक समय पर राहत सामग्री न पहंच सकी हो । लोगों को कठिनाई का भी सामना करना पडा है, और दुर्भाग्यवश इससे बचा नहीं जा सकता, चाहे कितने ही उपाय और तैयारी की जाय ।

यह कहना सही नहीं है कि हमारा उदासीन दृष्टिकोण रहा है । हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं कि इस प्रकार की विपत्ति की पुनरावृत्ति न हो और जहां यह समस्या हर साल उत्पन्न होती हो, वहां दक्षतापूर्वक कार्य करने के बारे में हम विचार कर रहे हैं ।

बाढ़ की स्थिति में सबसे पहला काम है, रुके हुए पानी को बाहर निकालना और लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाना । सड़कों, पुलियों आदि की मरम्मत करना भी आवश्यक है और खड़ी हुई फसलों को यथासंभव बचाना भी बहुत आवश्यक है जिससे बाद में लोगों की तकलीफों में इजाफा न हो । जहां फसलें नष्ट हो गई हैं, वहां हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी नई फसलें उगाई जा सकती हैं । कुछ स्थानों पर अब भी पानी भरा हुआ है, इसलिए हम यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी अल्पकालिक फसलें उगाई जा सकती हैं । कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रियायती दर पर उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है ।

हम बीज तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं । हर बात केन्द्रीय स्तर पर ही नहीं की जा सकती । काम तो किसानों को ही करना है, हम तो फसलें उगाने में उनकी मदद ही कर सकते हैं ।

बाढ़ की स्थिति में हमें रबी की फसल उगाने में सहायता मिल सकती है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से रुके हुए पानी को निकालने के बाद भूमि में नमी बनी रहेगी । रबी की फसल के लिए बीज और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध किये जा रहे हैं, ताकि रबी की फसल में भरपूर अनाज प्राप्त किया जा सके ।

"बिहार में बाढ़ और राहत उपायों की समीक्षा" नामक पुस्तिका में उन उपायों का भी उल्लेख किया गया है, जो बिहार सरकार ने चिकित्सा सम्बन्धी उपायों के रूप में किये हैं। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से 40 चिकित्सा विशेषज्ञ वहां भेजे हैं, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके। आन्ध्र प्रदेश से 30 डाक्टर भेजे गये हैं और 30 अन्य चिकित्सा सहायक भी बिहार भेजे गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्य पड़ौसी राज्य में चिकित्सा दस्ते बिहार में भेजेंगे, जिससे वहां हेजा, चेचक या अन्य महामारी को फैलने से रोका जा सके। पेय जल को क्लोरीनयुक्त किया जा रहा है, जिससे गन्दे पानी के पीने से बीमारी न फैले।

श्री मधु लिमये और श्री श्याम नन्दन मिश्र ने केन्द्रीय सहायता का प्रश्न उठाया। छठे वित्त आयोग ने समग्र उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया था। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की दया पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए छठे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि इस बारे में संसाधन राज्य सरकारों को अन्तरित किये जायें। केन्द्रीय सरकार ने वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। गम्भीर विपत्ति के समय हम आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर नहीं रह सकते। सरकार को अवसर के मुताबिक निर्णय करना होगा।

पहले भी जब मैं खाद्य मंत्री था तो बिहार को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था। 1965–66 में खाद्य उत्पादन भी न्यूनतम स्तर पर अर्थात 41 लाख टन था। उस वक्त मैंने यह घोषणा की थी कि किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जायेगा और कठिन स्थिति के बावजूद भी उस वचन को पूरा किया गया था। 41 लाख टन के कम उत्पादन के बावजूद हम स्थिति का सामना करने के लिए पूरे बिहार के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संगठित करने में सफल हुए हैं।

श्री भोगेन्द्र झा: क्योंकि वहां कांग्रेसी सरकार नहीं थी अतएव यह व्यवस्था हो पायी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सौभाग्य से अब स्वतः बिहार में उत्पादन बढ़ गया है। 1972–73 में उत्पादन 92 लाख टन था जबकि 1973–74 में (जून तक) लगभग 85 टन हो गया था। अतएव अब वहां कमी नहीं है संचार व्यवस्था के विफल होने के कारण कुछ कठिनाई अवश्य है। स्थिति 1965-66 के समान खराब नहीं है जबकि उत्पादन 41 लाख टन ही हुआ था।

यहां तक मेरा संबंध है कि मैं बिहार की स्थिति के अलावा देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से भी उत्तरदायी हूं। मुझे न केवल समस्या का अल्पकालीन अपितु दीर्घकालीन समाधान भी खोजना है। केन्द्र के पास उपलब्ध रिजर्व भण्डार को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न राज्यों की मांगों पर उचित ध्यान दे रहे हैं।

बिहार में उत्पादन अच्छा होने के बावजूद हमने जनवरी में 25,000 टन, फरवरी में 30,000 टन, मार्च में 35,000 टन, अप्रैल में 40,000 टन, मई में 40,000 जून में 40,000, जुलाई में 40,000 और अगस्त में विषय परिस्थिति को देखते हुए बिहार को 55,000 टन अनाज सप्लाई किया गया।

बिहार की मांग सदा ही अधिक रही है। सितम्बर, अक्तूबर, और नवम्बर के लिए प्रतिमास 35,000 टन की अतिरिक्त मांग की गई है। मुझे बिहार तथा अन्य राज्यों की विषम परिस्थिति का

पता हैं । पश्चिम बंगाल, आशाम, गुजरात, केरल आदि राज्यों की स्थिति बिगड़ी हुई है । मुझे देश समग्र स्थिति पर ध्यान देना है ।

बिहार में केवल खाद्यान्न के वितरण की समस्या ही नहीं है अपितु प्रशासन के संचालन की भी समस्या महत्वपूर्ण है इस स्थिति में श्री श्याम नन्दन जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें मंत्रीगण निकल नहीं सकते । क्या यह बात गर्व करने की है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : क्या मैंने ऐसा कहा था ? (**व्यवधान**)

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उन्हें बिहार में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें कठिनाइयों का समाधान हो सके ।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्ट और अयोग्य प्रशासन को जानना ही चाहिए .....(**व्यवधान**) ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सामान्य आरोप है जिसके कारण प्रधान मंत्री समेत सभी को पद छोड़ना होगा । इस आरोप को बिहार के बारे में अधिक गम्भीरता से कैसे ले सकते हैं ?

मैं स्वीकार करता हूं कि यह आरोप गम्भीर है परन्तु यदि इस संकट के समय प्रशासन को न चलने दिया गया तो जो कुछ भी अनाज जहां से भेजा जाता है वह वहां पहुंच नहीं पायेगा । अतः मैं श्री वाजपेयी तथा अन्य सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वहां ऐसी स्थिति पैदा करें कि प्रशासन चल सके ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा हो गया है अतएव सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने स्थगत प्रस्ताव को वापस ले लें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : No doubt the purpose of moving adjournment motion on the situation of Bihar has been partially achieved. When the situation of drought or floods is discussed it is not possible to adhere to one State alone. Nor can the Minister confine themself to the issues raised in such matter. I confined my motion to Bihar as I have myself visited Bihar recently . Secondly, I wanted the situation of Bihar to becomethe matter of consideration of this House.

During these discussion both short term and long term solutions have been proposed. Our friend Shri Bhogander Jha suggested multipurpose projects. We take notice of floods when its water reaches our doorsteps.

The hon. Minister has not given any concrete proposals in respect of Bihar. So long as the recommendations of the Finance Commission in respect to Bihar are considered and changed, it is not possible to give sufficient assistance to Bihar. I wish the Central Cabinet may meet shortly and decide on the quantum of aid to drought and flood affected states.

We wish to respond to the hon. Minister gesture for co-operation but so long as the present Ministry is functioning there it is not possible. So long as the ruling party is engaged in its internal struggle it is not expected to come to the rescue of the people. If the Ministry in Bihar is removed the administration can carry on as is the case in respect to Gujarat.

It is not possible for the present government to come to the rescue of the suffering people of Bihar. In order to get out of the situation of flood and drought in Bihar serious thought is necessary about the political structure there. The former President of Bihar Congress expressed that whatever aid is given to State it cannot reach the people untill the present government is continuing.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने सोचा था कि आप इस मामले में राजनीति नहीं लाऐंगे, परन्तु इन्होंने अपने भाषण की तथा दृष्टिकोण को राजनीतिक बाणा पहना दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने पहले इस मामले में राजनीति को स्थान नहीं दिया । परन्तु कांग्रेसी सदस्यों ने ही इसे राजनीतिक दृष्टिकोण दिया मैं अब भी कहता हूं कि इस मामले में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आप राजनीति को इस मामले में मत लायें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question of forming national relief committee to fight the drought and floods has not been considered.

You seek co-operation whenever in trouble your each and every action is politically motivated. If the minister is serious for the formation of a national relief committee to fight drought and floods we are prepared to co-operate. The hon. Minister wanted to discuss the entire food situation.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमें पूरे देश की स्थिति का अध्ययन करना है केवल बिहार का नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रधान मंत्री के साथ बैठक में निर्णय हुआ था कि इस विषय पर निर्णय हमारे साथ मिलकर किया जायेगा । परन्तु संसदीय कार्य मंत्री ने विषय हमारे ऊपर थोपा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I press my adjournment motion.

श्री सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सभा अब स्थगित होती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

तेल उद्योग (विकास) विधेयक — जारी

Oil industry (Development) Bill Contd.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : कल मैंने कहा था . . . .

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 सितम्बर, 1974 / 13 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, September 4, 1974/ Bhadra 13, 1896 (Saka)

MGIPRRND—Sec. (Day)V—33 LSS/74—19-11-74—490